



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16032026-270968
CG-MH-E-16032026-270968

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2026/फाल्गुन 21, 1947

No. 180]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2026/PHALGUNA 21, 1947

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिसूचना

मुंबई, 6 मार्च, 2026

F. No. 9/8/2010-IF-I — भारतीय निर्यात-आयात बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 28) की धारा 27 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के निम्नलिखित पत्रों

- (i) सं. 11/1/2005- आईआर, तारीख 20 सितंबर, 2005;
- (ii) सं. 11/1/2010-आईआर, तारीख 19 अक्टूबर, 2010;
- (iii) सं. 9/8/2010-आईएफ-1, तारीख 20 सितंबर, 2023; और
- (iv) सं. 9/8/2010- आईएफ-1, तारीख 08 जुलाई, 2024,

के अनुसार की गई या करने का लोप की गई बातों के सिवाय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से 01 नवंबर, 2002 से ही इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन तक निर्यात-आयात बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करने हेतु विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम निर्यात-आयात बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 2026 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निर्यात-आयात बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1982 (विनियम जिसे इसमें, इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) के, विनियम 3 के खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् –
“(ट) 'वेतन' से मूल वेतन सहित अवरोध वेतनवृद्धि अभिप्रेत है।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में -

(i) उपविनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः -

“(1क) 01 नवंबर, 2002 से अधिकारियों के लिए निम्नलिखित पांच श्रेणियों के साथ प्रत्येक श्रेणी के सामने उनके विनिर्दिष्ट वेतनमान हैं:

श्रेणी		मापमान	वेतनमान
(क)	विशेष श्रेणी	मापमान VIII	30700-900-31600-1000-32600 रुपये
(ख)	उच्च कार्यपालक श्रेणी	मापमान VII	29340-680-30700-900-31600-1000-32600 रुपये
		मापमान VI	26620-680-29340 रुपये
(ग)	ज्येष्ठ प्रबंधन श्रेणी	मापमान V	24140-620-26620 रुपये
		मापमान IV	20480-560-21040-620-24140 रुपये
(घ)	मध्य प्रबंधन श्रेणी	मापमान III	18240-560-21040-620-22280 रुपये
		मापमान II	13820-500-14320-560-19920 रुपये
(ङ)	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी	मापमान I	10000-470-12820-500-14320-560-18240 रुपये

(1ख) अधिकारियों के लिए निम्नलिखित पांच श्रेणियों के साथ प्रत्येक श्रेणी के सामने उनके विनिर्दिष्ट वेतनमान हैं और ये श्रेणियां निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रभावी होंगी:

श्रेणी		मापमान	वेतनमान	इस अवधि के लिए लागू
(1)		(2)	(3)	(4)
(क)	विशेष श्रेणी	मापमान VIII	49400-1300-52000 रुपये	01/11/2007 से 30/11/2011
			60600-1600-67000 रुपये	01/12/2011 से 31/10/2012
(ख)	उच्च कार्यपालक श्रेणी	मापमान VII	46800-1300-52000 रुपये	01/11/2007 से 31/10/2012
			मापमान VI	
(ग)	ज्येष्ठ प्रबंधन श्रेणी	मापमान V	36200-1000-38200-1100-40400 रुपये	
			मापमान IV	
(घ)	मध्य प्रबंधन श्रेणी	मापमान III	25700-800-29700-900-31500 रुपये	
			मापमान II	
(ङ)	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी	मापमान I	14500-600-18700-700-20100-800-25700 रुपये	

सारणी

(1ग) अधिकारियों के लिए निम्नलिखित पांच श्रेणियों के साथ प्रत्येक श्रेणी के सामने उनके विनिर्दिष्ट वेतनमान हैं और ये श्रेणियां निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रभावी होंगी:

सारणी

श्रेणी		मापमान	वेतनमान	इस अवधि के लिए लागू
(1)		(2)	(3)	(4)
(क)	विशेष श्रेणी	मापमान VIII	101900-3000-113900 रुपये	01/11/2012 से 30/04/2016
(ख)	उच्च कार्यपालक श्रेणी	मापमान VII	76520-2120-85000 रुपये	01/11/2012 से 31/10/2017

		मापमान VI	68680-1960-76520 रुपये
(ग)	ज्येष्ठ प्रबंधन श्रेणी	मापमान V	59170-1650-62470-1800-66070 रुपये
		मापमान IV	50030-1460-55870-1650-59170 रुपये
(घ)	मध्य प्रबंधन श्रेणी	मापमान III	42020-1310-48570-1460-51490 रुपये
		मापमान II	31705-1145-32850-1310-45950 रुपये
(ङ)	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी	मापमान I	23700-980-30560-1145-32850-1310-42020 रुपये

टिप्पण : कार्यपालक निदेशक (विशेष श्रेणी या मापमान VIII) का पद, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 01 दिसंबर, 2011 के पत्र संख्या फा.सं. 9/55/2011-आईएफ-1 द्वारा उप प्रबंध निदेशक का पद सृजित किए जाने पर समाप्त कर दिया गया है।

(1घ) 01 नवंबर, 2017 से अधिकारियों के लिए निम्नलिखित चार श्रेणियों के साथ प्रत्येक श्रेणी के सामने उनके विनिर्दिष्ट वेतनमान हैं:

श्रेणी		मापमान	वेतनमान
(क)	उच्च कार्यपालक श्रेणी	मापमान VII	116120-3220-129000 रुपये
		मापमान VI	104240-2970-116120 रुपये
(ख)	ज्येष्ठ प्रबंधन श्रेणी	मापमान V	89890-2500-94890-2730-100350 रुपये
		मापमान IV	76010-2220-84890-2500-89890 रुपये
(घ)	मध्य प्रबंधन श्रेणी	मापमान III	63840-1990-73790-2220-78230 रुपये
		मापमान II	48170-1740-49910-1990-69810 रुपये
(ङ)	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी	मापमान I	36000-1490-46430-1740-49910-1990-63840 रुपये

(1ङ) 01 नवंबर, 2022 से अधिकारियों के लिए निम्नलिखित चार श्रेणियों के साथ प्रत्येक श्रेणी के सामने उनके विनिर्दिष्ट वेतनमान हैं:

श्रेणी		मापमान	वेतनमान
(क)	उच्च कार्यपालक श्रेणी	मापमान VII	156500-4340-173860 रुपये
		मापमान VI	140500-4000-156500 रुपये
(ख)	ज्येष्ठ प्रबंधन श्रेणी	मापमान V	120940-3360-127660-3680-135020 रुपये
		मापमान IV	102300-2980-114220-3360-120940 रुपये
(ग)	मध्य प्रबंधन श्रेणी	मापमान III	85920-2680-99320-2980-105280 रुपये
		मापमान II	64820-2340-67160-2680-93960 रुपये
(घ)	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी	मापमान I	48480-2000-62480-2340-67160-2680-85920 रुपये

(ii) उप-विनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे :-

“(2क) (i) 01 मई, 2015 से, कनिष्ठ प्रबंधन मापमान I से मध्य प्रबंधन मापमान II में प्रोन्नत हुए अधिकारियों को उच्चतर मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने पर प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि मिलेगी। इनमें से पहली दो वेतनवृद्धि 1310-1310 रुपये की और अगली दो वेतनवृद्धि 1460-1460 रुपये की होंगी।

(ii) 01 मई, 2015 से, मध्य प्रबंधन मापमान II से मापमान III में प्रोन्नत हुए अधिकारियों को उच्चतर मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने पर प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 1460 रुपये की वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि मिलेगी और तीसरी वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि पर प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1460 रुपये की वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि मिलेगी।

परंतु उच्चतर मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंच चुके शीर्ष कार्यपालक VII श्रेणी या मापमान के अधिकारी उच्चतर मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के छह वर्ष पश्चात या 01 नवंबर, 2022 से, जो भी पश्चातवर्ती हो, तीसरी वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि के धनीय अभिलाभ के लिए पात्र होंगे।

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे :-

(2क) (i) 01 नवंबर, 2002 से, 'भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट' परीक्षा के प्रत्येक भाग को उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में अतिरिक्त वृद्धि दी जाएगी:

परंतु अधिकारी वृत्तिक अर्हता भत्ते के लिए पात्र होंगे -

(क) केवल भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट - भाग I या भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात 300 रुपये प्रति माह के लिए;

(ख) भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट के दोनों भागों को उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी:

क) मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात 300 रुपये प्रतिमाह;

ख) मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात 700 रुपये प्रतिमाह के लिए पात्र होंगे।

वृत्तिक अर्हता भत्ते पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं सेवांत लाभ मिलेगा।

(ii) उच्चतर मापमान की अधिकतम सीमा पर भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (एक भाग या दोनों भाग) उत्तीर्ण करने वाले अधिकारियों को ऐसी योग्यता पर वृत्तिक अर्हता भत्ते पर पहली किस्त मिलेगी और वृत्तिक अर्हता पर पहली किस्त की तारीख के पश्चात से अगली वृत्तिक अर्हता किस्तें प्रदान की जाएंगी:

परंतु ऐसे मामलों में जहां अधिकारी 02 जून, 2005 को उक्त योग्यता प्राप्त कर चुके हैं और उन्हें ऐसी किसी योग्यता पर कोई वेतनवृद्धि या वृत्तिक अर्हता भत्ता प्रदान नहीं किया गया था, उन्हें योग्यता प्राप्त करने की तारीख से या 01 नवंबर, 2002 से, जो भी पश्चातवर्ती हो, वृत्तिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा।

(2ख) (i) तारीख 01 नवंबर, 2007 से, 'भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट' परीक्षा के प्रत्येक भाग को उत्तीर्ण करने पर अधिकारी को वेतनमान में अतिरिक्त वृद्धि दी जाएगी:

परंतु अधिकारी वृत्तिक अर्हता भत्ते के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे -

(क) केवल भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट - भाग I या भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात 410 रुपये प्रतिमाह के लिए;

(ख) केवल भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट के दोनों भागों को उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी:

क) मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात 410 रुपये प्रतिमाह;

ख) मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात 1030 रुपये प्रतिमाह के लिए।

वृत्तिक अर्हता भत्ते पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और सेवांत लाभ मिलेगा।

(ii) उच्चतर मापमान की अधिकतम सीमा पर भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (एक भाग या दोनों भाग) उत्तीर्ण करने वाले अधिकारियों को ऐसी योग्यता पर वृत्तिक अर्हता भत्ते पर पहली किस्त मिलेगी और वृत्तिक अर्हता पर पहली किस्त की तारीख के पश्चात से अगली वृत्तिक अर्हता किस्तें प्रदान की जाएंगी।

परंतु ऐसे मामलों में जहां अधिकारी तारीख 27 अप्रैल, 2010 को उक्त योग्यता प्राप्त कर चुके थे और उन्हें ऐसी किसी योग्यता पर कोई वेतनवृद्धि या वृत्तिक अर्हता भत्ता प्रदान नहीं किया गया था, उन्हें योग्यता प्राप्त करने की तारीख से या 01 नवंबर, 2007 से, जो भी पश्चातवर्ती हो, वृत्तिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा।

(2ग) (i) तारीख 01 नवंबर, 2012 से, 'भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट' परीक्षा के प्रत्येक भाग को उत्तीर्ण करने पर अधिकारी को वेतनमान में अतिरिक्त वृद्धि दी जाएगी:

परंतु अधिकारी व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे -

(क) केवल भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट - भाग I या भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात 670 रुपये प्रतिमाह के लिए;

(ख) केवल भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट के दोनों भागों को उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी:

क) मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात 670 रुपये प्रतिमाह;

(ख) मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात 1680 रुपये प्रतिमाह के लिए।

वृत्तिक अर्हता वेतन पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं सेवांत लाभ मिलेगा।

(ii) उच्चतर मापमान की अधिकतम सीमा पर भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (एक भाग या दोनों भाग) उत्तीर्ण करने अधिकारियों को ऐसी योग्यता पर वृत्तिक अर्हता वेतन पर पहली किस्त मिलेगी और वृत्तिक अर्हता वेतन पर पहली किस्त की तारीख के पश्चात से अगली वृत्तिक अर्हता वेतन किस्तें प्रदान की जाएंगी।

(2घ) (i) तारीख 01 नवंबर, 2017 से, 'भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट' परीक्षा के प्रत्येक भाग को उत्तीर्ण करने पर अधिकारी को वेतनमान में अतिरिक्त वृद्धि दी जाएगी:

परंतु अधिकारी निम्नानुसार व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता भत्ते के लिए पात्र होंगे -

(क) केवल भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट - भाग I या भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी मान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात 1020 रुपये प्रतिमाह के लिए;

(ख) केवल भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट के दोनों भागों को उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी:

क) मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात 1020 रुपये प्रतिमाह;

ख) मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात 2550 रुपये प्रतिमाह के लिए।

वृत्तिक अर्हता भत्ता पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और सेवांत लाभ मिलेगा।

(ii) उच्चतर मापमान की अधिकतम सीमा पर भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (एक भाग या दोनों भाग) उत्तीर्ण करने वाले अधिकारियों को ऐसी योग्यता पर वृत्तिक अर्हता वेतन पर पहली किस्त मिलेगी और वृत्तिक अर्हता वेतन पर पहली किस्त की तारीख के पश्चात से अगली वृत्तिक अर्हता वेतन किस्तें प्रदान की जाएंगी।

(2ङ) अधिकारी भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट उत्तीर्ण करने पर एक वेतनवृद्धि के अतिरिक्त, भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे:

परंतु मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के पश्चात भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट उत्तीर्ण करने वाले अधिकारियों को उत्तीर्ण होने की तारीख से वृत्तिक अर्हता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी:

परंतु यह और कि इस निपटान की तारीख तक, किसी अधिकारी ने वेतनमान के शीर्ष या अधिकतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात (भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट के मामले में या भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट या भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट II के मामले में या, वेतनमान के अधिकतम स्तर से एक स्तर कम स्तर पर पहुंचने के पश्चात) भारतीय बैंकर संस्थान का जूनियर एसोसिएट पहले ही प्राप्त कर लिया है या प्राप्त करेगा, और उसने ऐसी अर्हता प्राप्त करने के कारण अन्यथा हकदार वेतनवृद्धि अर्जित नहीं की है, जब उन कर्मचारियों के वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि प्रदान करने के लिए नहीं थी, तो ऐसे मामलों में ठहराव वेतनवृद्धि एक वर्ष या दो वर्ष, जैसा भी मामला हो, आगे बढ़ाई जा सकेगी:

परंतु यह और भी जो अधिकारी 01 नवंबर, 2022 को बैंक में सेवाएं दे रहे थे और भारतीय बैंकर संस्थान के एसोसिएट और भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट II पहले ही उत्तीर्ण कर चुके थे, वे 1 नवंबर, 2022 से या भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट और भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट II उत्तीर्ण करने की तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो, दूसरी अतिरिक्त वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे।

परंतु यह भी कि जो अधिकारी तारीख 01 नवंबर, 2022 को बैंक में सेवाएं दे रहे थे और भारतीय बैंकर संस्थान के एसोसिएट और भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट II पहले ही उत्तीर्ण कर चुके थे और वृत्तिक अर्हता वेतन II प्राप्त कर रहे हैं, वे वृत्तिक अर्हता वेतन II शुरू होने के 1 वर्ष पश्चात, या 01 नवंबर, 2022 से, जो भी पश्चातवर्ती हो, वृत्तिक अर्हता वेतन III के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण: इस उपबंध के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट और भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट II) उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी और तारीख 1 नवंबर, 2022 को या उससे पहले उच्चतर मापमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचकर भी तारीख 1 नवंबर, 2022 को या उससे पहले प्रथम वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि न प्राप्त करने वाले अधिकारी 1 नवंबर, 2022 से वृत्तिक अर्हता वेतन-I के लिए पात्र होंगे और वृत्तिक अर्हता वेतन-I की अन्य किस्तें वृत्तिक अर्हता वेतन-I प्राप्त करने की तारीख से मिलेंगी।

परंतु यह भी कि अधिकारी वृत्तिक अर्हता वेतन के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे:

क्रम संख्या	विवरण	वेतन
(1)	(2)	(3)
1.	जो भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट उत्तीर्ण हैं।	वृत्तिक अर्हता वेतन-I, वेतनमान के शीर्ष या अधिकतम सीमा पर पहुंचने के 1 वर्ष पश्चात प्रतिमाह 1370 रुपये।
2.	जो भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट II) उत्तीर्ण हैं।	वृत्तिक अर्हता वेतन-I, वेतनमान के शीर्ष या अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात प्रतिमाह 1370 रुपये। वृत्तिक अर्हता वेतन-II, वेतनमान के शीर्ष या अधिकतम सीमा पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात प्रतिमाह 3425 रुपये। वृत्तिक अर्हता वेतन-III, वेतनमान के शीर्ष या अधिकतम सीमा पर पहुंचने के तीन वर्ष पश्चात प्रतिमाह 5480 रुपये।

वृत्तिक अर्हता वेतन पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं सेवांत लाभ मिलेगा।

स्पष्टीकरण— इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतनमान के शीर्ष या अधिकतम सीमा पर पहुंचने के पश्चात भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट और भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी को वृत्तिक अर्हता प्राप्त करने की तारीख से वृत्तिक अर्हता वेतन की पहली किस्त और इसके पश्चात की वृत्तिक अर्हता वेतन किस्तें वृत्तिक अर्हता वेतन की पहली किस्त की तारीख से दी जाएंगी।

5. उक्त विनियमों के विनियम 12 को 12(1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और पुनः क्रमांकित उप-विनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“(2) 01 नवंबर, 2002 से, किसी अधिकारी को महंगाई भत्ता निम्नलिखित अखिल भारतीय औसत कार्यकारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) [बेस 1960 = 100] के आधार पर दिया जाएगा, अर्थात: -

- (क) महंगाई भत्ता, अखिल भारतीय औसत कार्यकारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) [बेस 1960 = 100] से संबद्ध होगा;
- (ख) महंगाई भत्ता तभी देय होगा जब औसत सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2288 से अधिक हो;
- (ग) 2288 अंकों से ऊपर (अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) [आधार 1960 = 100]) पर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या गिरावट के लिए, तिमाही औसत एवं तिमाही समायोजन, -

(i) 01 नवंबर, 2002 से 31 जनवरी, 2005 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा अर्थात: -

प्रथम स्लैब – 9650 रुपये से अधिक के वेतन पर 0.18 प्रतिशत;

द्वितीय स्लैब – 9650 रुपये से अधिक और 15350 रुपये के वेतन पर

0.15 प्रतिशत;

तृतीय स्लैब – 15350 रुपये से अधिक और 16350 रुपये के वेतन पर

0.09 प्रतिशत;

चतुर्थ स्लैब – 16350 रुपये से अधिक के वेतन पर 0.04 प्रतिशत;

(ii) 01 फरवरी, 2005 से महंगाई भत्ता वेतन के 0.18 प्रतिशत पर देय होगा।

(3) 01 नवंबर, 2007 से, किसी अधिकारी को महंगाई भत्ता निम्नलिखित आधार पर देय होगा: -

- (i) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत कार्यकारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) [बेस 1960 = 100] से संबद्ध होगा;
- (ii) महंगाई भत्ता तभी देय होगा जब औसत सूचकांक 2836 से अधिक हो;
- (iii) 2836 अंकों से ऊपर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (बेस 1960 = 100) प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या गिरावट पर, तिमाही औसत एवं तिमाही समायोजन;
- (iv) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत कार्यकारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (बेस 1960 = 100) के तिमाही औसत में 2836 अंकों से ऊपर चार अंकों की वृद्धि या गिरावट पर वेतन के 0.15 प्रतिशत पर देय होगा।

(4) 01 नवंबर, 2012 से, किसी अधिकारी को महंगाई भत्ता निम्नलिखित अखिल भारतीय औसत कार्यकारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) [बेस 1960 = 100] के आधार पर देय होगा:-

- (i) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत कार्यपालक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) [बेस 1960 = 100] से संबद्ध होगा;
- (ii) महंगाई भत्ता तभी देय होगा जब औसत सूचकांक 4440 से अधिक हो;
- (iii) 4440 अंकों से ऊपर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (बेस 1960 = 100) प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या गिरावट पर, तिमाही औसत एवं तिमाही समायोजन;
- (iv) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत कार्यकारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (बेस 1960 = 100) के तिमाही औसत में 4440 अंकों से ऊपर चार अंकों की वृद्धि या गिरावट पर वेतन का 0.10 प्रतिशत पर देय होगा।

(5) 01 नवंबर, 2017 से, किसी अधिकारी को महंगाई भत्ता निम्नलिखित अखिल भारतीय औसत कार्यपालक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) [बेस 1960 = 100] के आधार पर देय होगा:-

- (i) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत कार्यपालक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) [बेस 1960 = 100] से संबद्ध होगा;
- (ii) महंगाई भत्ता तभी देय होगा जब औसत सूचकांक 6352 से अधिक हो;
- (iii) 6352 अंकों से ऊपर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (बेस 1960 = 100) प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या गिरावट पर, तिमाही औसत एवं तिमाही समायोजन;
- (iv) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत कार्यकारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (बेस 1960 = 100) के तिमाही औसत में 6352 अंकों से ऊपर चार अंकों की वृद्धि या गिरावट पर वेतन के 0.07 प्रतिशत पर देय होगा।

(6) 01 नवंबर, 2022 से, किसी अधिकारी को महंगाई भत्ता, सूचकांक के प्रत्येक प्रतिशत अंक पर वेतन के 1 प्रतिशत की दर से देय होगा।

टिप्पण – महंगाई भत्ता, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक (बेस 2016=100) को तिमाही औसत 123.03 अंकों से ऊपर प्रत्येक उतार-चढ़ाव के लिए देय होगा। 123.03 अंकों से ऊपर सूचकांक में प्रत्येक दूसरे दशमलव स्थान के परिवर्तन पर वेतन पर महंगाई भत्ते में 0.01 प्रतिशत का परिवर्तन होगा। महंगाई भत्ते की यह दर तिमाही आधार पर 1 मई, 1 अगस्त, 1 नवंबर और 1 फरवरी को नीचे दी गई सारणी के अनुसार जारी की जाएगी।

सारणी

क्रमांक	महंगाई भत्ता जारी करने की तारीख	माह-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अंकों का तिमाही औसत	इन महीनों के लिए लागू
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1 मई	जनवरी, फरवरी और मार्च	मई, जून और जुलाई
2.	1 अगस्त	अप्रैल, मई और जून	अगस्त, सितंबर और अक्टूबर
3.	1 नवंबर	जुलाई, अगस्त और सितंबर	नवंबर, दिसंबर और जनवरी
4.	1 फरवरी	अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर	फरवरी, मार्च और अप्रैल

टिप्पण: महंगाई भत्ते के लिए कोई सीमा नहीं होगी और महंगाई भत्ता योजना से संबंधित अन्य सभी मौजूदा उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पहले दो दशमलव तक तिमाही औसत पर विचार किया जाएगा।

6. उक्त विनियमों के विनियम 12 के पश्चात निम्नलिखित विनियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

"12क (1) 01 नवंबर, 2012 से अधिकारी को निम्नानुसार विशेष भत्ता देय होगा: -

मापमान I – III – वेतन का 7.75 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

मापमान IV – V – वेतन का 10 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

मापमान VI – VII – वेतन का 11 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

टिप्पण: उक्त विशेष भत्ते को और उस पर लागू महंगाई भत्ते को राष्ट्रीय पेंशन योजना और भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी सहित पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(2) 01 नवंबर, 2017 से अधिकारी को निम्नानुसार विशेष भत्ता देय होगा :

मापमान I – III – वेतन का 16.40 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

मापमान IV – V – वेतन का 19 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

मापमान VI – VII – वेतन का 20 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

टिप्पण: उक्त विशेष भत्ते को और उस पर लागू महंगाई भत्ते को राष्ट्रीय पेंशन योजना और भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी सहित पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(3) 01 नवंबर, 2022 से अधिकारी को निम्नानुसार विशेष भत्ता देय होगा:

मापमान I – 26.50 प्रतिशत

मापमान II एवं III – 28.30 प्रतिशत

मापमान IV एवं V – 30.50 प्रतिशत

मापमान VI एवं VII – 31.50 प्रतिशत

टिप्पण: उक्त विशेष भत्ते को और उस पर लागू महंगाई भत्ते को राष्ट्रीय पेंशन योजना और भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी सहित पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

12ख (1) 01 नवंबर, 2017 से अधिकारी को लागू महंगाई भत्ते के साथ 600 रुपये प्रतिमाह का शिक्षण भत्ता दिया जाएगा।

(2) 01 नवंबर, 2022 से अधिकारी को लागू महंगाई भत्ते के साथ 850 रुपये प्रतिमाह का शिक्षण भत्ता दिया जाएगा।

टिप्पण: उक्त शिक्षण भत्ते को और उस पर लागू महंगाई भत्ते को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली (राष्ट्रीय पेंशन योजना), भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी सहित पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए नहीं हिसाब में नहीं लिया जाएगा।”

7. उक्त विनियमों के विनियम 13 में, -

(i) उप-विनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“(1क) 01 नवंबर, 2002 से, जब किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, तो अधिकारी बैंक द्वारा उसे प्रदान की गई असज्जित आवासीय सुविधा के लिए वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन का 1.75 प्रतिशत या मानक किराया जो भी कम हो, बैंक को भुगतान करेगा और बैंक द्वारा उसे प्रदान किए गए फर्नीचर तथा/ या फर्निशिंग, यदि कोई है, के लिए उस वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन का 0.40 प्रतिशत अतिरिक्त भी भुगतान करेगा।

(1ख) 01 नवंबर, 2007 से ही, जब किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, तो अधिकारी बैंक द्वारा उसे प्रदान की गई असज्जित आवासीय सुविधा के लिए वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन का 1.20 प्रतिशत या मानक किराया जो भी कम हो, बैंक को भुगतान करेगा और बैंक द्वारा उसे प्रदान किए गए फर्नीचर तथा/ या फर्निशिंग, यदि कोई है, के लिए उस वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन का 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त भी भुगतान करेगा।

(1ग) 01 नवंबर, 2012 से, जब किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, तो अधिकारी बैंक द्वारा उसे प्रदान की गई असज्जित आवासीय सुविधा के लिए वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन का 0.75 प्रतिशत या मानक किराया जो भी कम हो, बैंक को भुगतान करेगा और बैंक द्वारा उसे प्रदान किए गए फर्नीचर या फर्निशिंग, यदि कोई है, के लिए उस वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन का 0.15 प्रतिशत अतिरिक्त भी भुगतान करेगा।

(1घ) 01 नवंबर, 2017 से ही, जब किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, तो अधिकारी बैंक द्वारा उसे प्रदान की गई असज्जित आवासीय सुविधा के लिए वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन का 0.50 प्रतिशत या मानक किराया जो भी कम हो, बैंक को भुगतान करेगा और बैंक द्वारा उसे प्रदान किए गए फर्नीचर या फर्निशिंग, यदि कोई है, के लिए उस वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन का 0.10 प्रतिशत अतिरिक्त भी भुगतान करेगा।

(1ड) 01 नवंबर, 2022 से ही, जब किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, तो अधिकारी बैंक द्वारा उसे प्रदान की गई असज्जित आवासीय सुविधा के लिए वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन का 0.35 प्रतिशत या मानक किराया जो भी कम हो, बैंक को भुगतान करेगा और बैंक द्वारा उसे प्रदान किए गए फर्नीचर या फर्निशिंग, यदि कोई है, के लिए उस वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन का 0.075 प्रतिशत अतिरिक्त भी भुगतान करेगा।

(ii) उप-विनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“(2क) 01 नवंबर, 2002 से ही, यदि अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, तो अधिकारी पदस्थापना स्थल के आधार पर प्रति माह निम्नलिखित सारणी के अनुसार मकान किराया भत्ता के लिए पात्र होगा:

सारणी

क्रमांक	क्षेत्र	दर
1	‘क’ वर्ग के प्रमुख शहर (नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, हैदराबाद, बंगलोर, अहमदाबाद) एवं समूह ‘क’ के परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 8.5 प्रतिशत
2	क्षेत्र I के अन्य स्थानों (12 लाख या अधिक जनसंख्या) और समूह ‘ख’ के परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 7.5 प्रतिशत
3	अन्य स्थान	वेतन का 6.5 प्रतिशत

टिप्पण: समूह ‘क’ तथा समूह ‘ख’ में परियोजना क्षेत्र केंद्र बैंकिंग उद्योग के वर्गीकरण के अनुसार होंगे।

परंतु यदि अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है, तो सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार, उसे देय मकान किराया भत्ता अपनी आवासीय सुविधा के लिए वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन के 1.75 प्रतिशत से अधिक, उसके द्वारा प्रदत्त वास्तविक किराया या उपर्युक्त रूप में देय मकान किराया भत्ता का 150 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, होगा।

(2ख) 01 नवंबर, 2007 से ही, यदि बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो अधिकारी को उसकी पदस्थापना के स्थान के आधार पर मासिक किराया भत्ता निम्नानुसार सारणी में यथा विनिर्दिष्ट देय होगा:

सारणी

क्रमांक	क्षेत्र	दर
(1)	(2)	(3)
1	‘क’ वर्ग के प्रमुख शहर एवं समूह ‘क’ परियोजना के क्षेत्र केंद्र	वेतन का 8.5 प्रतिशत
2	क्षेत्र I के अन्य स्थान एवं समूह ‘ख’ के परियोजना क्षेत्र केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 7.5 प्रतिशत
3	अन्य स्थान	वेतन का 6.5 प्रतिशत

टिप्पण: समूह ‘क’ तथा समूह ‘ख’ में परियोजना क्षेत्र केंद्र बैंकिंग उद्योग के वर्गीकरण के अनुसार होंगे।

परंतु यदि अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय मकान किराया भत्ता अपनी आवासीय सुविधा के लिए वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन के 1.20 प्रतिशत से अधिक, ऊपर सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार, उसके द्वारा प्रदत्त वास्तविक किराया या उपर्युक्त रूप में देय मकान किराया भत्ता का अधिकतम 150 प्रतिशत होगा।

टिप्पण: अधिकारी के स्वामित्व वाले आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के लिए अधिकारी के दावे भी पहले की तरह आवास किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित होंगे।

(2ग) 01 नवंबर, 2012 से, यदि बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो अधिकारी को उसकी पदस्थापना स्थान के आधार पर मासिक किराया भत्ता निम्नानुसार सारणी में यथा विनिर्दिष्ट देय होगा:

सारणी

क्रमांक	क्षेत्र	दर
1	‘क’ वर्ग के प्रमुख शहर एवं समूह ‘क’ के परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 9 प्रतिशत
2	क्षेत्र I के अन्य स्थान एवं समूह ‘ख’ के परियोजना क्षेत्र केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 8 प्रतिशत
3	अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत

टिप्पण: समूह 'क' तथा समूह 'ख' में परियोजना क्षेत्र केंद्र बैंकिंग उद्योग के वर्गीकरण के अनुसार होंगे।

परंतु यदि अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है तो, उसे देय मकान किराया भत्ता अपनी आवासीय सुविधा के लिए वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन के 0.75 प्रतिशत से अधिक ऊपर सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट उसके द्वारा प्रदत्त वास्तविक किराया, देय मकान किराया भत्ता का 150 प्रतिशत होगा।

टिप्पण: अधिकारी के स्वामित्व वाले आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के लिए अधिकारी के दावे भी पहले की तरह आवास किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित होंगे।

(2घ) 01 नवंबर, 2017 से ही, यदि बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो अधिकारी को उसकी पदस्थापना के स्थान के आधार पर मासिक किराया भत्ता निम्नानुसार सारणी में यथा विनिर्दिष्ट देय होगा:

सारणी

क्रमांक	क्षेत्र	दर
1	'क' वर्ग के प्रमुख शहर एवं समूह 'क' के परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 9 प्रतिशत
2	क्षेत्र I के अन्य स्थान एवं समूह 'ख' परियोजना क्षेत्र केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 8 प्रतिशत
3	अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत

टिप्पण: समूह 'क' तथा समूह 'ख' में परियोजना क्षेत्र केंद्र बैंकिंग उद्योग के वर्गीकरण के अनुसार होंगे।

परंतु यदि अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है तो, उसे देय मकान किराया भत्ता अपनी आवासीय सुविधा के लिए वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन के 0.50 प्रतिशत से अधिक ऊपर सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट, उसके द्वारा प्रदत्त वास्तविक किराया या उपर्युक्त रूप में देय मकान किराया भत्ता का अधिकतम 150 प्रतिशत होगा।

टिप्पण: अधिकारी के स्वामित्व वाले आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के लिए अधिकारी के दावे भी पहले की तरह आवास किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित होंगे।

(2ङ) 01 नवंबर, 2022 से ही, यदि बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो अधिकारी को उसकी पदस्थापना के स्थान के आधार पर मासिक किराया भत्ता निम्नानुसार सारणी में यथा विनिर्दिष्ट देय होगा:

सारणी

क्रमांक	क्षेत्र	दर
1	'क' वर्ग के प्रमुख शहर एवं समूह 'क' के परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 10 प्रतिशत
2	क्षेत्र I के अन्य स्थान एवं समूह 'ख' परियोजना क्षेत्र केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 9 प्रतिशत
3	अन्य स्थान	वेतन का 8 प्रतिशत

टिप्पण: समूह 'क' तथा समूह 'ख' में परियोजना क्षेत्र केंद्र बैंकिंग उद्योग के वर्गीकरण के अनुसार होंगे।

परंतु यदि अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है तो, उसे देय मकान किराया भत्ता आवासीय सुविधा के लिए वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण में वेतन के 0.35 प्रतिशत से अधिक ऊपर सारणी में स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट उसके द्वारा प्रदत्त वास्तविक किराया या उपर्युक्त रूप में देय मकान किराया भत्ता का अधिकतम 150 प्रतिशत होगा।

टिप्पण: अधिकारी के स्वामित्व वाले आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के लिए अधिकारी के दावे भी पहले की तरह आवास किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित होंगे।

8. उक्त विनियमों का विनियम 14 को उसके विनियम 14(1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा तथा उसके पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे :-

“(2) 1 नवंबर, 2002 से ही, कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आवास को अपना अधिकार नहीं समझेगा। असज्जित आवास के लिए अधिकारी द्वारा प्रथम चरण के वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया हो, के 1.75 प्रतिशत के संदाय और सज्जित आवास के लिए प्रथम चरण के वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया हो, के 2.15 प्रतिशत के संदाय या मानक किराया में से जो भी कम हो, के संदाय पर बैंक आवास उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगा। जब बैंक द्वारा ऐसा सज्जित या असज्जित आवास उपलब्ध कराया जाए तो बिजली, पानी, गैस एवं संरक्षण प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे न कि बैंक द्वारा।

(3) 1 नवंबर, 2007 से ही, कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आवास को अपना अधिकार नहीं समझेगा। असज्जित आवास के लिए अधिकारी द्वारा प्रथम चरण के वेतनमान जिसमें उसे रखा गया हो, का 1.20 प्रतिशत के संदाय और सज्जित आवास के लिए प्रथम चरण के वेतनमान जिसमें उसे रखा गया हो, के 1.45 प्रतिशत के संदाय या मानक किराया में से जो भी कम हो, के संदाय पर बैंक आवास उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगा। जब बैंक द्वारा इस तरह का सज्जित या असज्जित आवास उपलब्ध कराया जाए तो बिजली, पानी, गैस एवं संरक्षण प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे न कि बैंक द्वारा।

(4) 1 नवंबर, 2012 से, कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आवास को अपना अधिकार नहीं समझेगा। तथापि, असज्जित आवास के लिए अधिकारी द्वारा प्रथम चरण के वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया हो, के 0.75 प्रतिशत के संदाय और सज्जित आवास के लिए प्रथम चरण के वेतनमान जिसमें उसे रखा गया हो, के 0.90 प्रतिशत के संदाय या मानक किराया में से जो भी कम हो, के संदाय पर बैंक आवास उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगा। जब बैंक द्वारा इस तरह का सज्जित या असज्जित आवास उपलब्ध कराया जाए तो बिजली, पानी, गैस एवं संरक्षण प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे न कि बैंक द्वारा।

(5) (i) 1 नवंबर, 2017 से ही मकान किराया वसूली वेतनमान, जिसमें अधिकारी को रखा गया हो, के प्रथम चरण के 0.50 प्रतिशत या मानक किराया, में से जो भी कम हो, की होगी।

(ii) 1 नवंबर, 2017 से ही फर्नीचर किराया वसूली वेतनमान, जिसमें अधिकारी को रखा गया हो, के प्रथम चरण के 0.10 प्रतिशत की होगी।

(6) (i) 1 नवंबर, 2022 से ही मकान किराया वसूली वेतनमान, जिसमें अधिकारी को रखा गया हो, के प्रथम चरण के 0.35 प्रतिशत की होगी।

(ii) 1 नवंबर, 2022 से ही फर्नीचर किराया वसूली वेतनमान, जिसमें अधिकारी को रखा गया हो, के प्रथम चरण के 0.075 प्रतिशत की होगी।

9. उक्त विनियमों के विनियम 15 को उसके विनियम 15(1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा तथा उसके पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे:-

“(2) 1 नवंबर, 2002 से कोई अधिकारी नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए हकदार होगा, जो उसकी पदस्थापना स्थल पर निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निर्भर करेगा: -

सारणी

क्रमांक	क्षेत्र	दर	अधिकतम (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्षेत्र I के स्थान तथा गोवा राज्य में	वेतन का चार प्रतिशत	540 प्रति माह
2.	पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले तथा राज्यों की राजधानियां और चंडीगढ़, पुडुचेरी एवं पोर्ट ब्लेयर	वेतन का तीन प्रतिशत	375 प्रति माह

(3) 1 नवंबर, 2007 से ही, कोई अधिकारी नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए हकदार होगा, जो उसकी पदस्थापना स्थल पर निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार निर्भर करेगा: -

सारणी

क्रमांक	क्षेत्र	दर	अधिकतम (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्षेत्र I के स्थान तथा गोवा राज्य में	वेतन का चार प्रतिशत	540 प्रति माह
2.	पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले तथा राज्यों की राजधानियां और चंडीगढ़, पुडुचेरी एवं पोर्ट ब्लेयर	वेतन का तीन प्रतिशत	375 प्रति माह

(4) 1 नवंबर, 2012 से ही कोई अधिकारी नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए हकदार होगा, जो उसकी पदस्थापना स्थल पर निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार निर्भर करेगा: -

सारणी

क्रमांक	क्षेत्र	दर	अधिकतम (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्षेत्र I के स्थान तथा गोवा राज्य में	वेतन का चार प्रतिशत	870 प्रति माह
2.	पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले तथा राज्यों की राजधानियां और चंडीगढ़, पुडुच्चेरी एवं पोर्ट ब्लेयर	वेतन का तीन प्रतिशत	600 प्रति माह

(5) 1 नवंबर, 2017 से ही कोई अधिकारी नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए हकदार होगा, जो उसकी पदस्थापना स्थल पर निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार निर्भर करेगा: -

सारणी

क्रमांक	क्षेत्र	अधिकतम (रुपये)
(1)	(2)	(4)
1.	क्षेत्र I के स्थान तथा गोवा राज्य में	1400 रुपये प्रति माह
2.	पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले तथा राज्यों की राजधानियां और चंडीगढ़, पुडुच्चेरी एवं पोर्ट ब्लेयर	1,150 रुपये प्रति माह

(6) 1 नवंबर, 2022 से ही कोई अधिकारी नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए हकदार होगा, जो उसकी पदस्थापना स्थल पर निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार निर्भर करेगा: -

सारणी

क्रमांक	क्षेत्र	अधिकतम (रुपये)
(1)	(2)	(4)
1.	क्षेत्र I के स्थान तथा गोवा राज्य में	2300 प्रति माह
2.	पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले तथा राज्यों की राजधानियां और चंडीगढ़, पुडुच्चेरी एवं पोर्ट ब्लेयर	1900 प्रति माह

10. उक्त विनियमों के विनियम 15क में उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्न उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे:-

(3) 01 नवंबर, 2004 से ही मकान किराया भत्ते के साथ नियत व्यक्तिगत भत्ता निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट दर पर देय होगा और अधिकारी की संपूर्ण सेवा अवधि के लिए स्थिर रहेगा अर्थात: -

सारणी

क्रमांक	वेतन वृद्धि घटक (रुपये में)	यथा 1 नवंबर, 2002 को मंहगाई भत्ता (रुपये में)	कुल देय नियत व्यक्तिगत भत्ता (रुपये में) जहां बैंक का आवास दिया गया हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	560	23	583
2.	620	25	645
3.	680	28	708
4.	1000	41	1041

टिप्पण 1: उपर्युक्त स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट नियत व्यक्तिगत भत्ता उन कर्मचारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक का आवास दिया गया हो।

टिप्पण 2: मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए नियत व्यक्तिगत भत्ता संबंधित अधिकारी को विनियम 4 के उप-विनियम (1क) में यथा उपबंधित सुसंगत वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि मिलने पर स्तंभ (2) प्लस स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट राशि प्लस संबंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त मकान किराया भत्ते के बराबर होगा।

टिप्पण 3 : नियत व्यक्तिगत वेतन के वेतनवृद्धि घटक को अधिवाषिता लाभ के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(4) 01 नवंबर, 2007 से ही मकान किराया भत्ते के साथ नियत व्यक्तिगत भत्ता निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट दर पर देय होगा और अधिकारी की संपूर्ण सेवा अवधि के लिए स्थिर रहेगा:-

सारणी

क्रमांक	वेतन वृद्धि घटक (रुपये में)	1 नवंबर, 2007 को मंहगाई भत्ता (रुपये में)	कुल देय नियत व्यक्तिगत भत्ता (रुपये में) जहां बैंक का आवास दिया गया हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	800	58	858
2.	900	65	965
3.	1000	72	1072
4.	1100	79	1179
5.	1200	86	1286
6.	1300	94	1394

टिप्पण 1: उपर्युक्त स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट नियत व्यक्तिगत वेतन उन कर्मचारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक का आवास दिया गया हो।

टिप्पण 2: मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए नियत व्यक्तिगत भत्ता संबंधित अधिकारी को विनियम 4 के उप-विनियम (1ख) में यथा उपबंधित सुसंगत वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि मिलने पर स्तंभ (2) प्लस स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट राशि प्लस संबंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त मकान किराया भत्ते के अनुसार होगा।

टिप्पण 3 : नियत व्यक्तिगत वेतन के वेतनवृद्धि घटक को अधिवाषिता लाभ के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(5) 01 नवंबर, 2012 से मकान किराया भत्ते के साथ नियत व्यक्तिगत भत्ता निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट दर पर देय होगा और अधिकारी की संपूर्ण सेवा अवधि के लिए स्थिर रहेगा:-

सारणी

क्रमांक	वेतन वृद्धि घटक (रुपये में)	1 नवंबर, 2012 को मंहगाई भत्ता (रुपये में)	कुल देय नियत व्यक्तिगत भत्ता (रुपये में) जहां बैंक का आवास दिया गया हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1310	143	1453
2.	1460	159	1619
3.	1650	180	1830
4.	1800	196	1996
5.	1960	214	2174
6.	2120	231	2351

टिप्पण 1: उपर्युक्त स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट नियत व्यक्तिगत वेतन उन कर्मचारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक का आवास दिया गया हो।

टिप्पण 2: मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए निश्चित व्यक्तिगत भत्ता संबंधित अधिकारी को विनियम 4 के उप-विनियम (1ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार संबंधित वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि मिलने पर स्तंभ (2) प्लस स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट राशि के संबंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त मकान किराया भत्ते के बराबर होगा।

टिप्पण 3 : निश्चित व्यक्तिगत वेतन के वेतनवृद्धि घटक को अधिवाषिंता लाभ के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(6) तारीख 1 नवंबर, 2017 से नियत व्यक्तिगत वेतन, गृह किराया भत्ते के साथ, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दर पर देय होगा और सेवा की संपूर्ण अवधि के लिए नियत रहेगा, अर्थात: -

सारणी

क्रम संख्या	वेतनवृद्धि घटक (रुपये)	यथा 1 नवंबर, 2017 को महंगाई भत्ता (रुपये)	बैंक की प्रसुविधा प्रदान किए जाने पर कुल देय नियत व्यक्तिगत वेतन (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1990	53	2043
2.	2220	59	2279
3.	2500	66	2566
4.	2730	73	2803
5.	2970	79	3049
6.	3220	86	3306

टिप्पण 1 : उपरोक्त स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट नियत व्यक्तिगत वेतन उन अधिकारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक की प्रसुविधा उपलब्ध है।

टिप्पण 2 : गृह किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत व्यक्तिगत वेतन स्तंभ (2) तथा स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट राशि और उप-विनियम 4 के उप-विनियम (1घ) के अंतर्गत संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त होने पर देय गृह किराया भत्ते के योग के बराबर होगा।

टिप्पण 3 : नियत व्यक्तिगत वेतन का वेतनवृद्धि घटक अधिवाषिंता लाभों के लिए माना जाएगा।

टिप्पण 4 : केवल वे अधिकारी, जो 1 नवंबर, 1993 या उससे पूर्व बैंक की सेवा में थे, उस मापमान में अपनी अधिकतम वेतनमान सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात नियत व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र होंगे, जिसमें वे पदस्थापित हैं।

(7) तारीख 1 नवंबर, 2022 से नियत व्यक्तिगत वेतन, गृह किराया भत्ते के साथ, निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट दर पर देय होगा और सेवा की संपूर्ण अवधि के लिए नियत रहेगा, अर्थात:

सारणी

क्रम संख्या	वेतनवृद्धि घटक (रुपये)	यथा 1 नवंबर, 2022 को महंगाई भत्ता (रुपये)	बैंक की प्रसुविधा प्रदान किए जाने पर कुल देय नियत व्यक्तिगत वेतन (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2680	200	2880
2.	2980	222	3202
3.	3360	250	3610
4.	3680	274	3954
5.	4000	298	4298
6.	4340	323	4663

टिप्पण 1 : उपरोक्त स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट नियत व्यक्तिगत वेतन उन अधिकारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध है।

टिप्पण 2 : गृह किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत व्यक्तिगत वेतन स्तंभ (2) तथा स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट राशि और उप-विनियम 4 के उप-विनियम (1ड) के अंतर्गत संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त होने पर देय गृह किराया भत्ते के योग के बराबर होगा।

टिप्पण 3 : नियत व्यक्तिगत वेतन का वेतनवृद्धि घटक अधिवाषिंता लाभों के लिए माना जाएगा।

टिप्पण 4 : केवल वे अधिकारी, जो 1 नवंबर, 1993 या उससे पूर्व बैंक की सेवा में थे, उस मापमान में अपनी अधिकतम वेतनमान सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात नियत व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र होंगे, जिसमें वे पदस्थापित थे।

11. उक्त विनियमों के विनियम 16 का पुनः क्रमांकन कर 16(1) किया जाएगा और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उप-विनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“2) तारीख 1 जनवरी, 2004 से, यदि कोई अधिकारी दीर्घकालिक आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शैक्षणिक वर्ष के मध्य में स्थानांतरित होता है और उसके एक या अधिक बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, तो उसे उक्त सभी बच्चों के संबंध में, नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उस शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक, प्रतिमाह 500 रुपये का मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी:

परंतु, यदि सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर दें, तो यह भत्ता उसी समय समाप्त हो जाएगा।

(3) तारीख 1 मई, 2010 से, यदि कोई अधिकारी दीर्घकालिक आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शैक्षणिक वर्ष के मध्य में स्थानांतरित होता है और उसके एक या अधिक बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, तो उसे नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उस शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक, उक्त सभी बच्चों के संबंध में, प्रतिमाह 700 रुपये का मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी:

परंतु, यदि सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर दें, तो यह भत्ता उसी समय समाप्त हो जाएगा।

(4) तारीख 1 जून, 2015 से, यदि कोई अधिकारी दीर्घकालिक आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शैक्षणिक वर्ष के मध्य में स्थानांतरित होता है और उसके एक या अधिक बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, तो उसे नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उस शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक, उक्त सभी बच्चों के संबंध में, प्रतिमाह 1,100 रुपये का मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी:

परंतु, यदि सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर दें, तो यह भत्ता उसी समय समाप्त हो जाएगा।

(5) तारीख 1 नवंबर, 2020 से, यदि कोई अधिकारी दीर्घकालिक आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शैक्षणिक वर्ष के मध्य में स्थानांतरित होता है और उसके एक या अधिक बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, तो उसे नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उस शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक, उक्त सभी बच्चों के संबंध में, प्रतिमाह 1,650 रुपये का मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी:

परंतु यदि सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर दें, तो यह भत्ता उसी समय समाप्त हो जाएगा।

(6) तारीख 1 अप्रैल, 2024 से, यदि कोई अधिकारी दीर्घकालिक आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शैक्षणिक वर्ष के मध्य में स्थानांतरित होता है और उसके अधिकतम दो बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, तो उसे उक्त बच्चों के संबंध में, नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उस शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक, प्रति बच्चा प्रतिमाह रु. 2,500 की मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता प्राप्ति की पात्रता होगी:

परंतु यदि सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर दें, तो यह भत्ता उसी समय समाप्त हो जाएगा।

12. उक्त विनियमों के विनियम 17 का पुनः क्रमांकन कर 17(1) किया जाएगा और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उप-विनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे:-

“2) तारीख 1 जून, 2005 से, यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर सेवाएं देने के लिए प्रतिनियुक्त होता है, तो वह उस पद से संबद्ध पारिश्रमिक प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है। वैकल्पिक रूप से, वह अधिकारी अपने वेतन के अतिरिक्त अपने वेतन के 7.75 प्रतिशत, अधिकतम 1,500 रुपये प्रतिमाह का प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा अन्य भत्ते प्राप्त कर सकता है, जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थ होने की स्थिति में देय होते:

परंतु, यदि अधिकारी को ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है, जो उसी स्थान पर स्थित है जहां वह प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व पदस्थ था, तो उसे अपने वेतन के चार प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता, अधिकतम 750 रुपये प्रतिमाह, प्राप्त होगा।

(3) तारीख 1 मई, 2010 से, यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर सेवाएं देने के लिए प्रतिनियुक्त होता है, तो वह उस पद से संबद्ध पारिश्रमिक प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है। वैकल्पिक रूप से, वह अपने वेतन के अतिरिक्त

अपने वेतन का 7.75 प्रतिशत, अधिकतम 2,300 रुपये प्रतिमाह का प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा वह अन्य भत्ते प्राप्त कर सकता है, जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थ होने की स्थिति में देय होते:

परंतु, यदि अधिकारी को ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है, जो उसी स्थान पर स्थित है जहां वह प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व पदस्थ था, या बैंक के प्रशिक्षण स्थापन में, तो उसे अपने वेतन के चार प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता, अधिकतम 1,200 रुपये प्रतिमाह, प्राप्त होगा।

(4) तारीख 1 जून, 2015 से, यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर सेवाएं देने के लिए प्रतिनियुक्त होता है, तो वह उस पद से संबद्ध पारिश्रमिक प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है। वैकल्पिक रूप से, वह अपने वेतन के अतिरिक्त 7.75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता, अधिकतम 4,000 रुपये प्रतिमाह, तथा वह अन्य भत्ते प्राप्त कर सकता है, जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थ होने की स्थिति में देय होते:

परंतु, यदि अधिकारी को ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है, जो उसी स्थान पर स्थित है जहां वह प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व पदस्थ था, या बैंक के प्रशिक्षण स्थापन में, तो उसे अपने वेतन के चार प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता, अधिकतम 2,000 रुपये प्रतिमाह प्राप्त होगा।

(5) तारीख 1 नवंबर, 2020 से, यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर सेवाएं देने के लिए प्रतिनियुक्त होता है, तो वह उस पद से संबद्ध पारिश्रमिक प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है। वैकल्पिक रूप से, वह अपने वेतन के अतिरिक्त 7.75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता, अधिकतम 6,000 रुपये प्रतिमाह, तथा वह अन्य भत्ते प्राप्त कर सकता है, जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थ होने की स्थिति में देय होते:

परंतु, यदि अधिकारी को ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है, जो उसी स्थान पर स्थित है जहां वह प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व पदस्थ था, या बैंक के प्रशिक्षण स्थापन में, तो उसे अपने वेतन के चार प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता, अधिकतम 3,000 रुपये प्रतिमाह, प्राप्त होगा।

(6) तारीख 1 अप्रैल, 2024 से, यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर किसी भिन्न स्थान पर स्थित संस्था में सेवाएं देने के लिए प्रतिनियुक्त होता है, तो वह उस पद से संबद्ध पारिश्रमिक प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है। वैकल्पिक रूप से, वह अपने वेतन के अतिरिक्त 7.75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता, अधिकतम 7,500 रुपये प्रतिमाह, तथा वह अन्य भत्ते प्राप्त कर सकता है, जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थ होने की स्थिति में देय होते:

परंतु, यदि अधिकारी को ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है, जो उसी स्थान पर स्थित है या बैंक के स्वामित्व में न होने वाले प्रशिक्षण संस्थान में, तो उसे अपने वेतन के चार प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता, अधिकतम 3,750 रुपये प्रतिमाह, प्राप्त होगा।

(7) यदि किसी अधिकारी को महानगर या प्रमुख 'क' वर्ग शहरों में, समान नगर सीमा या शहरी समूह के भीतर किसी अन्य कार्यालय या शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाता है और प्रतिनियुक्ति की दूरी मूल शाखा/कार्यालय से बीस किलोमीटर या अधिक है, तो विनियम 34 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत प्रदत्त अवकाश भत्ता देय होगा।

13. उक्त विनियमों के विनियम 18 में, उप-विनियम (2) में, *स्पष्टीकरण* को पुनः संख्यांकित कर *स्पष्टीकरण 1* किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित *स्पष्टीकरण 1* के पश्चात निम्नलिखित *स्पष्टीकरण* अंतःस्थापित किए जाएंगे:-

"स्पष्टीकरण 2- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, तारीख 1 फरवरी, 2004 से,-

(क) अधिकारी के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के प्रयोजन हेतु 'कुटुंब से अभिप्राय अधिकारी के पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, अविवाहित भाई और अविवाहित बहनें हैं, जो अधिकारी के साथ रहने वाले और पूर्णतः आश्रित हों।

(ख) चिकित्सा सहायता के प्रयोजन हेतु अधिकारी के 'कुटुंब सदस्य' से अभिप्राय केवल पति/ पत्नी, पूर्णतः आश्रित बच्चे और पूर्णतः आश्रित माता-पिता होंगे।

(ग) अधिकारी और उसका परिवार छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पात्र होंगे।"

"स्पष्टीकरण 3- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, तारीख 1 मई, 2010 से,-

(क) अधिकारी के 'कुटुंब से पति/पत्नी, पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले और विधिवत दत्त बच्चे सहित), 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग भाई या बहन तथा अधिकारी के साथ सामान्यतः रहने वाले और पूर्णतः आश्रित माता-पिता अभिप्रेत हैं।

(ख) 'पूर्णतः आश्रित संतान या माता-पिता, पूर्णतः आश्रित दिव्यांग भाई या बहन' से ऐसे कुटुंब सदस्य अभिप्रेत हैं जिनकी मासिक आय ₹ 3,500 से अधिक न हो; और यदि किसी एक अभिभावक की आय 3,500 रुपये प्रति माह से अधिक हो या दोनों अभिभावकों की कुल मासिक आय 3,500 रुपये से अधिक हो, तो दोनों अभिभावक अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माने जाएंगे।

स्पष्टीकरण 4- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, तारीख 1 जून, 2015 से,-

(क) अधिकारी के 'कुटुंब से पति/पत्नी, पूर्णतः आश्रित अविवाहित संतान (सौतेले और विधिवत दत्तक बच्चे सहित), 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग पूर्णतः आश्रित भाई या बहन, विधवा पुत्री तथा आश्रित तलाकशुदा या अलग रह रही पुत्री, अविवाहित, तलाकशुदा, पति द्वारा छोड़ी गई, अलग रह रही या विधवा बहनें और पूर्णतः आश्रित माता-पिता अभिप्रेत हैं।

(ख) 'पूर्णतः आश्रित कुटुंब सदस्य' से ऐसे सदस्य अभिप्रेत हैं जिनकी मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक न हो; और यदि किसी एक अभिभावक की आय ₹ 10,000 से अधिक हो या दोनों अभिभावकों की कुल मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो, तो दोनों अभिभावक अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माने जाएंगे।

(ग) एक विवाहित महिला कर्मचारी अपने 'कुटुंब की परिभाषा में अपने वास्तविक माता-पिता या ससुराल पक्ष के माता-पिता को अंतःस्थापित कर सकती है, परंतु दोनों को नहीं:

परंतु उक्त माता-पिता या ससुराल पक्ष के माता-पिता पूर्णतः आश्रित हों।

टिप्पण: चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना के प्रयोजनार्थ, सभी कर्मचारियों के लिए आश्रित माता-पिता या ससुराल पक्ष के माता-पिता में से कोई दो सम्मिलित होंगे।

स्पष्टीकरण 5- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, तारीख 1 नवंबर, 2020 से,-

(क) अधिकारी के 'कुटुंब से पति/पत्नी, पूर्णतः आश्रित अविवाहित संतान (सौतेले और विधिवत दत्तक बच्चे सहित), 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः आश्रित दिव्यांग भाई या बहन, विधवा पुत्री तथा आश्रित तलाकशुदा या अलग रह रही पुत्री, बहनें (अविवाहित, तलाकशुदा, पति द्वारा छोड़ी गई, अलग रह रही या विधवा) और पूर्णतः आश्रित माता-पिता अभिप्रेत हैं। दिव्यांग संतान को उनकी आयु या वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना, आय की शर्त पूरी करने पर, आश्रित माना जाएगा;

(ख) 'पूर्णतः आश्रित कुटुंब सदस्य' से ऐसे सदस्य अभिप्रेत हैं, जिनकी मासिक आय 12,000 रुपये से अधिक न हो; और यदि किसी एक अभिभावक की आय ₹ 12,000 से अधिक हो या दोनों अभिभावकों की कुल मासिक आय 12,000 रुपये से अधिक हो, तो दोनों अभिभावक अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माने जाएंगे। एक विवाहित महिला कर्मचारी अपने 'कुटुंब की परिभाषा में अपने वास्तविक माता-पिता या ससुराल पक्ष के माता-पिता को अंतःस्थापित कर सकती है, किंतु दोनों को नहीं:

परंतु उक्त माता-पिता या ससुराल पक्ष के माता-पिता पूर्णतः आश्रित हों।

टिप्पण: चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना के प्रयोजनार्थ, सभी कर्मचारी, अर्थात्, पुरुष या महिला, अपने आश्रित माता-पिता या ससुराल पक्ष के माता-पिता में से कोई भी दो सम्मिलित कर सकते हैं। अधिकारी-कर्मियों को यह विकल्प होगा कि वे इनमें से किसी एक या दोनों को प्रतिस्थापित कर सकें।

स्पष्टीकरण 6- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, तारीख 1 अप्रैल, 2024 से यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(क) अधिकारी और उसका कुटुंब छुट्टी यात्रा रियायत तथा चिकित्सा सहायता के लिए पात्र होंगे, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- (i) कर्मचारी का पति/पत्नी;
- (ii) पूर्णतः आश्रित अविवाहित संतान (सौतेले और विधिवत दत्तक बच्चे सहित);
- (iii) 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले पूर्णतः आश्रित शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग भाई या बहन;
- (iv) विधवा पुत्री तथा आश्रित तलाकशुदा या अलग रह रही पुत्री;
- (v) अविवाहित, तलाकशुदा, पति द्वारा छोड़ी गई, अलग रह रही या विधवा बहनें;
- (vi) पूर्णतः आश्रित माता-पिता:

परंतु यह कि शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग संतान को, चाहे उनकी आयु कितनी भी हो और विवाह हुआ हो या न हुआ हो, आय की शर्त पूरी होने पर आश्रित माना जाएगा।

(ख) तारीख 1 अक्टूबर, 2024 से, 'पूर्णतः आश्रित कुटुंब सदस्य' से अभिप्राय ऐसे सदस्य अभिप्रेत हैं, जिनकी मासिक आय 18,000 रुपये से अधिक न हो; और यदि किसी एक अभिभावक की मासिक आय 18,000 रुपये से अधिक हो या दोनों अभिभावकों की कुल मासिक आय 18,000 रुपये से अधिक हो, तो दोनों अभिभावक अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माने जाएंगे।

टिप्पण: चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना तथा छुट्टी यात्रा रियायत के प्रयोजनार्थ, सभी कर्मचारियों के लिए आश्रित माता-पिता या ससुराल पक्ष के माता-पिता में से कोई भी दो सम्मिलित होंगे। कर्मचारी को यह विकल्प होगा कि वे इनमें से किसी एक या दोनों को एक कैलेंडर वर्ष में एक बार प्रतिस्थापित कर सकें।”

14. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (8) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(9) तारीख 1 अप्रैल, 2024 से, अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी अवकाश अस्वीकृत करने या स्थगित करने के कारण को अभिलेखित करेगा।”

15. उक्त विनियमों के विनियम 23 में,-

(क) उप-विनियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(1क) तारीख 1 अप्रैल, 2024 से, आकस्मिक अवकाश की कुल दो दिन की अवधि वर्ष में चार अवसरों पर अर्ध-दिवसीय अवकाश के रूप में ली जा सकेगी, जिनमें से दो अवसर प्रातःकाल और दो अवसर अपराह्न में होंगे।

टिप्पण 1 : इस श्रेणी के अंतर्गत आकस्मिक अवकाश, कम से कम चौबीस घंटे पूर्व आवेदन करने पर ही स्वीकृत किया जाएगा।

टिप्पण 2 : आकस्मिक अवकाश का शेषांश, यदि कोई हो, को *अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश खाते* में स्थानांतरित करते समय भिन्नांश को नजरअंदाज किया जाएगा।”

(ii) उप-विनियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे:-

“(5) तारीख 1 नवंबर, 2020 से, वर्ष 2017 या तत्पश्चात वर्षों में न लिए गए अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश पांच वर्षों में समाप्त हो जाएंगे और इन वर्षों के अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश का प्रयोग अधिकारियों द्वारा केवल चिकित्सीय कारणों से करने की ही अनुमति होगी। तथापि, ऐसे अवकाश की अवधि यदि एक साथ चार दिनों से अधिक नहीं है, तो चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

(6) तारीख 1 नवंबर, 2020 से, विशेष आकस्मिक अवकाश, अधिकारी को उस स्थिति में प्रदान किया जा सकेगा जब वह शाखा, जहां अधिकारी कार्यरत है, या वह स्थान, जहां अधिकारी निवास करता है, कर्फ्यू, दंगे, निषेधाज्ञा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या इसी प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित हो। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष सभी शारीरिक या अस्थि-दिव्यांग कर्मचारियों को चार दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।”

16. विनियम 24 में, उप-विनियम (2), (3), (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात:

“(2) विशेषाधिकार अवकाश अधिकतम दो सौ सत्तर दिन तक संचित किया जा सकेगा, सिवाय इसके कि अवकाश का आवेदन किया गया हो और उसे लिखित रूप से अस्वीकृत कर दिया गया हो:

परंतु 1 जून, 2015 से विशेषाधिकार अवकाश की नकदीकरण सीमा अधिकतम दो सौ चालीस दिन तक ही होगी।

(3) किसी कर्मचारी को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार अवकाश दो सौ चालीस दिन से अधिक, किन्तु अधिकतम अधिकतम दो सौ सत्तर दिन तक ही संचित किए जा सकेंगे:

परंतु 11 नवंबर, 2020 से विशेषाधिकार अवकाश की नकदीकरण सीमा अधिकतम 240 दिन तक ही होगी।

(4) कोई अधिकारी विशेषाधिकार अवकाश का लाभ लेना चाहता है तो सामान्यतः वर्ष के आरंभ में ही वर्ष हेतु अपने अवकाश कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगा और छुट्टी यात्रा रियायत हेतु लिए जाने वाले अवकाश को छोड़कर प्रस्तावित प्रारंभ तारीख से कम-से-कम 10 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।

(5) विशेषाधिकार अवकाश पर जाने वाले अधिकारी को अवकाश अवधि के लिए पूर्ण वेतन-भत्ते देय होंगे। विशेषाधिकार अवकाश की गणना हेतु, अधिकारी द्वारा अपने पिछले अवकाश से लौटने की तारीख से सेवा में रहने के दिनों को 11 से विभाजित किया जाएगा, जिससे विशेषाधिकार अवकाश के दिन ज्ञात होंगे। इसमें यदि गणना से आधे दिन या उससे अधिक का अंश निकलता है तो उसे पूर्ण दिन माना जाएगा और यदि आधे दिन से कम निकलता है तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा।

(6) जब किसी कर्मचारी के पास बीमारी अवकाश खाते में कोई शेष अवकाश न हो, तो विशेषाधिकार अवकाश को बीमारी के कारण लिए गए विशेषाधिकार अवकाश के उपयोग के एक अवसर के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(7) जब प्रत्येक चार वर्षों में एक बार कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत भत्ता लेता है, तो उसे अनुकल्पित रूप से अधिकतम एक माह तक के विशेषाधिकार अवकाश को त्याग कर उनके नकदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी है। वह दो वर्षों के एक खंड में गृह नगर और अन्य खंड में भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के दौरान अधिकतम 15 दिन के विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण कर सकेगा, या फिर एक खंड में 30 दिन तक नकदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी। इस नकदीकरण हेतु वही वेतन-भत्ते देय होंगे जो छुट्टी यात्रा रियायत लेने के माह में देय होंगे:

परंतु अधिकारी को उसके विकल्प पर प्रधानमंत्री राहत कोष हेतु एक अतिरिक्त दिन का विशेषाधिकार अवकाश दान करने की अनुमति होगी, जिसके लिए वह बैंक को पत्र देकर अधिकृत करेगा कि उक्त रकम कोष में जमा कर दी जाए।

परंतु किसी भी त्यौहार के अवसर पर विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण प्रति कैलेंडर वर्ष अधिकतम 5 दिन तक किया जा सकेगा।

परंतु जो कर्मचारी 55 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति तक एकवारगी उपाय के रूप में प्रति कैलेंडर वर्ष 7 दिन की दर से विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के हकदार होंगे।

(8) किसी कर्मचारी को प्राप्त होने वाला विशेषाधिकार अवकाश दो सौ चालीस दिन से अधिक परंतु अधिकतम 270 दिन तक संचित किया जा सकेगा:

परंतु अधिकतम दो सौ चालीस दिन तक के विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण किया जा सकेगा और सेवानिवृत्ति के समय या सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 255 दिन तक के विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण किया जा सकेगा।

(9) नकदीकरण किए गए विशेषाधिकार अवकाश की कटौती सेवा अवधि से नहीं की जाएगी और विशेषाधिकार अवकाश की संगणना में आकस्मिक अवकाश और अनिवार्य अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार के लिए गए अवकाशों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।”

17. विनियम 25 में, उप-विनियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(5) 1 जून, 2015 से प्रभावी, किसी अधिकारी को गुर्दा या अंगदान हेतु अपनी संपूर्ण सेवा अवधि में केवल एक बार अधिकतम 30 दिन का विशेष बीमारी अवकाश प्रदान किया जा सकेगा।”

18. उक्त विनियम के विनियम 26 में,-

(i) उप-विनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

“(1) किसी महिला अधिकारी को मातृत्व अवकाश 1 मई, 2010 से, एक अवसर पर अधिकतम छह माह और उसकी संपूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम बारह माह तक वास्तविक वेतन-भत्तों सहित प्रदान किया जा सकेगा।

(2) मातृत्व अवकाश, पूर्व-प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि हेतु, कुल 12 माह की सीमा के भीतर उपलब्ध होगा। साथ ही गर्भपात, चिकित्सा द्वारा गर्भसमापन या गर्भाशय-उच्छेदन की स्थिति में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम 45 दिन का अवकाश भी दिया जा सकेगा।”

(2A) तारीख 25 मई 2015 से भी गर्भपात, चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन या गर्भाशय-उच्छेदन की स्थिति में कुल बारह माह की अवधि के भीतर अवकाश निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जा सकेगा:-

(क) गर्भाशय-उच्छेदन की स्थिति में बारह माह की कुल अवधि के भीतर अधिकतम 60 दिन तक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकेगा;

(ख) बालहीन महिला अधिकारी को एक वर्ष से कम आयु के बालक को विधिक रूप से दत्तक ग्रहण करने पर, सेवा के दौरान एक बार अधिकतम छह माह का अवकाश दिया जा सकेगा, जो निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन होगा: -

(i) केवल एक ही बालक के दत्तक ग्रहण करने के लिए अवकाश दिया जाएगा;

(ii) बालक का दत्तक ग्रहण विधिक प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए और इस अवकाश की मंजूरी के लिए अधिकारी को दत्तक ग्रहण के दस्तावेज बैंक को प्रस्तुत करने होंगे;

(ग) यदि बच्चा सरोगेसी के माध्यम से जन्मा हो तो यह अवकाश जन्म देने वाली माताओं को भी उपलब्ध होगा;

(घ) सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान, बारह माह की समस्त हकदारी के भीतर अवकाश का उपभोग किया जाएगा।

(2ख) (क) महिला कर्मचारी को तारीख 11 नवंबर, 2020 से, मातृत्व अवकाश, जो कि पूर्ण वेतन पर दिया जाएगा, सामान्यतः किसी एक अवसर पर अधिकतम छह माह और संपूर्ण सेवा अवधि में कुल बारह माह तक दिया जाएगा।

टिप्पण 1: जुड़वां संतान के जन्म की दशा में मातृत्व अवकाश की अवधि आठ माह होगी।

टिप्पण 2: मातृत्व अवकाश केवल आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयुक्त रूप से लिया जा सकता है।

(ख) गर्भस्राव या गर्भपात या चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन की दशा में अधिकतम छह सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश चिकित्सा प्रमाणपत्र या योग्य चिकित्सक के परामर्श के आधार पर दिया जाएगा। विशेष या असाधारण परिस्थितियों में, जहां गर्भपात या

चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन से जुड़ी जटिलताएं हों, योग्य चिकित्सक के परामर्श पर मातृत्व अवकाश छह सप्ताह से अधिक, किन्तु किसी एक अवसर पर अधिकतम छह माह तक, और सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल बारह माह की सीमा के भीतर ही दिया जाएगा।

(ग) बारह माह की कुल अवधि के भीतर, गर्भाशय-उच्छेदन की दशा में अधिकतम 60 दिन तक अवकाश दिया जा सकेगा।

टिप्पण: जिन कर्मचारियों ने कुल बारह माह का मातृत्व अवकाश उपभोग कर लिया है और उनका यह अवकाश समाप्त हो गया है, उन्हें अतिरिक्त पंद्रह दिन का अवकाश भी मंजूर किया जाएगा, जो चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन होगा।

(घ) निःसंतान महिला कर्मचारी को सेवा के दौरान एक बार, एक वर्ष से कम आयु के शिशु को विधिपूर्वक दत्तक ग्रहण करने की दशा में, अधिकतम नौ माह तक का अवकाश प्रदान किया जा सकेगा, जो निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यक्षीन होगा:

- (i) केवल एक ही शिशु के दत्तक ग्रहण के लिए अवकाश दिया जाएगा;
- (ii) शिशु का दत्तक ग्रहण विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए और कर्मचारी को ऐसे अवकाश की मंजूरी हेतु बैंक में दत्तक ग्रहण पत्र प्रस्तुत करना होगा;
- (iii) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी भी शिशु के दत्तक ग्रहण के लिए अवकाश प्राप्त करने के पात्र होंगे;
- (iv) सरोगेसी की दशा में, जब शिशु का जन्म होता है, तो जैविक माता को भी यह अवकाश उपलब्ध होगा;
- (v) यह अवकाश सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान बारह माह की कुल सीमा के भीतर ही प्रदान किया जाएगा।

(ङ) बारह माह की कुल अवधि की सीमा के भीतर, निम्नलिखित स्त्रीरोग संबंधी रोगों या उपचारों के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दशा में अधिकतम तीस दिन तक का अवकाश भी दिया जा सकेगा:

- (i) असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव;
- (ii) अंडाशय ट्यूमर;
- (iii) युबेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी रिवर्सल;
- (iv) प्रसवोत्तर अवसाद;
- (v) प्रसवोत्तर रक्तस्राव;
- (vi) तीव्र श्रोणि सूजन रोग;
- (vii) गर्भाशय कार्यविधि संबंधी रक्तस्राव।

(2ग) (क) निःसंतान महिला कर्मचारी को तारीख 01 अप्रैल, 2024 से सेवा के दौरान एक बार, एक वर्ष से कम आयु के शिशु के विधिपूर्वक दत्तक ग्रहण की दशा में, अधिकतम नौ माह तक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकेगा, जो निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यक्षीन होगा:

- (i) अवकाश केवल एक ही शिशु के दत्तक ग्रहण के लिए दिया जाएगा;
- (ii) शिशु का दत्तक ग्रहण विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए और कर्मचारी को ऐसे अवकाश की स्वीकृति हेतु बैंक में दत्तक ग्रहण पत्र प्रस्तुत करना होगा;
- (iii) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी भी शिशु के दत्तक ग्रहण के लिए अवकाश प्राप्त करने के पात्र होंगे;
- (iv) सरोगेसी की दशा में, जब शिशु का जन्म होता है, तो जैविक माता को भी यह अवकाश उपलब्ध होगा;
- (v) यह अवकाश सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान बारह माह की कुल सीमा के भीतर ही दिया जाएगा;
- (vi) एक वर्ष से कम आयु के शिशु को विधिपूर्वक दत्तक ग्रहण की दशा में, महिला कर्मचारी को एक बार अधिकतम नौ माह तक मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।

(ख) आईवीएफ उपचार की दशा में, चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर मातृत्व अवकाश दिया जा सकेगा, परंतु यह कि यह सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान बारह माह की कुल सीमा के भीतर ही रहेगा।

(ग) मृत शिशु की दशा में या जन्म के 28 दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु होने की दशा में, अधिकतम साठ दिन तक का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।

टिप्पण: यदि किसी एक ही प्रसव में दो से अधिक शिशुओं का जन्म होता है, तो मातृत्व अवकाश अधिकतम बारह माह तक प्रदान किया जाएगा।

(ii) उप-विनियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः -

“(6) जिन पुरुष अधिकारियों के दो से कम जीवित संतान हैं 1 जून, 2015, से उन्हें पत्नी के प्रसव के समय पितृत्व अवकाश की अधिकतम 15 दिन की पात्रता होगी। यह अवकाश आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। यह अवकाश शिशु के जन्म की तारीख से अधिकतम 15 दिन पूर्व या 6 माह के भीतर लिया जा सकेगा।

(7) जिन पुरुष अधिकारियों की अधिकतम दो जीवित संतानें हैं 1 नवंबर, 2020 से उन्हें पत्नी के प्रसव के समय पितृत्व अवकाश की अधिकतम 15 दिन की पात्रता होगी। यह अवकाश आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। यह अवकाश शिशु के जन्म की तारीख से 15 दिन पूर्व या 6 माह के भीतर लिया जा सकेगा।

टिप्पण: पितृत्व अवकाश, अधिकतम दो जीवित संतान वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी को भी प्रदान किया जाएगा, जो एक वर्ष से कम आयु के बालक को विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा दत्तक ग्रहण करते हैं।”

19. उक्त विनियमों के विनियम 27 में, उप-विनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे:-

“(2क) सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान असाधारण अवकाश सात सौ बीस दिनों से अधिक नहीं दिया जाएगा। परंतु, असाधारण परिस्थितियों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा नामित प्राधिकारी, व्यक्तिशः मामलों में उपर्युक्त सीमा में छूट दे सकेंगे।

(2ख) तारीख 1 नवंबर, 2020 से असाधारण परिस्थितियों में असाधारण अवकाश (बिना वेतन) अधिकतम तीन माह तक किसी एक अवसर पर मंजूर किया जा सकेगा (गंभीर चिकित्सीय परिस्थितियों में यह अवधि अधिकतम चार माह तक हो सकती है) और सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम चौबीस माह तक मंजूर किया जा सकेगा।

टिप्पण: चिकित्सीय कारणों से असाधारण अवकाश लेने पर अधिकारी की ज्येष्ठता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

20. उक्त विनियमों के विनियम 28 का पुनः क्रमांकन कर 28(1) किया जाएगा और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उप-विनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“(2) तारीख 1 अप्रैल, 2024 से अधिकारियों को कुटुंब सदस्य (पति/पत्नी, संतान, माता-पिता और सास-ससुर) के निधन पर सात दिन का शोक अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस अवधि में पड़ने वाली छुट्टियां शोक अवकाश में सम्मिलित मानी जाएंगी तथा शोक अवकाश का उपयोग, निधन की तारीख से अधिकतम पंद्रह दिनों के भीतर करना होगा। विशेषाधिकार अवकाश की गणना हेतु शोक अवकाश को ‘सक्रिय सेवा’ नहीं माना जाएगा।”

21. उक्त विनियमों के विनियम 33 में -

(i) उप-विनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-

“(1क) (i) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी-I के अधिकारी तारीख 1 जून, 2015 से रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी या एसी द्वितीय श्रेणी शयनयान में यात्रा करने के हकदार होंगे। ऐसे अधिकारी, व्यावसायिक आवश्यकताओं या जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए जाने पर वायुयान (आर्थिक श्रेणी) से भी यात्रा कर सकेंगे।

(ii) मध्य प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी रेलगाड़ी से प्रथम वर्ग या एसी द्वितीय श्रेणी शयनयान में यात्रा करने के हकदार होंगे और यदि यात्रा की दूरी एक हजार किलोमीटर से अधिक है, तो वायुयान (आर्थिक श्रेणी) से यात्रा कर सकेंगे:

परंतु व्यावसायिक आवश्यकताओं या जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए जाने पर, वे कम दूरी के लिए भी वायुयान (आर्थिक श्रेणी) से यात्रा कर सकते हैं।

(iii) ज्येष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी रेलगाड़ी से एसी प्रथम श्रेणी या वायुयान (आर्थिक श्रेणी) से यात्रा करने के हकदार होंगे।

(iv) ज्येष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी उन स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकते हैं जो वायुयान या रेल से जुड़े नहीं हैं:

परंतु दूरी पांच सौ किलोमीटर से अधिक नहीं होगी:

परंतु दो स्थानों के बीच की दूरी का अधिकांश भाग वायुयान या रेलगाड़ी से तय किया जाएगा, शेष दूरी सामान्यतः कार द्वारा तय की जाएगी।

(v) व्यावसायिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी उसके निजी वाहन, टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा की अनुमति दी जा सकती है।

टिप्पण: जलयान (स्टीमर) द्वारा यात्रा की हकदारी - डीलक्स केबिन।”

(1ख) (i) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी-I के अधिकारी तारीख 1 अप्रैल, 2024 से राजधानी, शताब्दी, तेजस, वंदे भारत या अमृत भारत सहित किसी भी रेलगाड़ी से एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के हकदार होंगे। अधिकारी, व्यावसायिक आवश्यकताओं या जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से वायुयान (आर्थिक श्रेणी) से भी यात्रा कर सकते हैं।

(ii) मध्य प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत या अमृत भारत सहित किसी भी रेलगाड़ी से एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के हकदार होंगे। यदि यात्रा की दूरी पांच सौ किलोमीटर से अधिक है, तो अधिकारी वायुयान (आर्थिक श्रेणी) से यात्रा कर सकते हैं। परंतु, व्यावसायिक आवश्यकताओं या जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से वे अधिकारी कम दूरी के लिए भी वायुयान (आर्थिक श्रेणी) से यात्रा कर सकते हैं।

(iii) ज्येष्ठ प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत या अमृत भारत सहित किसी भी रेलगाड़ी से एसी प्रथम श्रेणी या वायुयान (आर्थिक श्रेणी) से यात्रा करने के हकदार हैं।

(iv) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी (श्रीका VII तक) के अधिकारी राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत या अमृत भारत सहित किसी भी रेलगाड़ी से एसी प्रथम श्रेणी या वायुयान (आर्थिक श्रेणी) से यात्रा करने के हकदार हैं।

टिप्पण: जलयान (स्टीमर) से यात्रा की हकदारी – डीलक्स केबिन।

(vii) राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत या अमृत भारत (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) में यात्रा पर भाड़े की प्रतिपूर्ति सभी अधिकारियों को अनुमत होगी।

(viii) यदि किसी अधिकारी ने छुट्टी यात्रा रियायत भत्ता या अवकाश का अग्रिम आवेदन किया है और टिकट भी बुक कर लिए हैं और प्रबंधन द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत को अस्वीकृत या स्थगित कर दिया जाता है, तो रद्दकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी।

(ix) यदि किसी अधिकारी ने नियत समयानुसार छुट्टी यात्रा रियायत भत्ता या अवकाश का आवेदन किया है और इसे स्वीकृति मिल गई है और अग्रिम टिकट बुकिंग संभव नहीं है, तो तत्काल या प्रीमियम तत्काल योजना के अंतर्गत खरीदे गए टिकट की प्रतिपूर्ति अनुमत होगी।

टिप्पण: रेल किराए पर उद्गृहीत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) शुल्क हकदारी की पात्रता के अतिरिक्त होंगे। साथ ही, डायनैमिक फेयर सिस्टम के अंतर्गत टिकट बुकिंग की तारीख पर लगाए गए टिकट शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।”

(ii) उप-विनियम (4) के पश्चात निम्न उप-विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“(5) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित श्रेणी या मापमान के अधिकारी स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर विराम भत्ते के हकदार होंगे:

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारियों के श्रेणी या मापमान	'क' वर्ग के प्रमुख शहर (रुपये)	क्षेत्र I (रुपये)	अन्य स्थान (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मापमान IV और इससे ऊपर के अधिकारी	600	550	500
2.	मापमान I या II या III के अधिकारी	550	500	400

परंतु मापमान-IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै में बाह्यस्थान आधिकारिक कार्य पर रहते हुए प्रतिदिन देय विराम भत्ता 700 रुपये होगा।

(6) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट श्रेणी या मापमान के अधिकारी 01 मई, 2010 से स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर विराम भत्ते के हकदार होंगे:

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारियों के श्रेणी या मापमान	'क' वर्ग के प्रमुख शहर (रुपये)	क्षेत्र I (रुपये)	अन्य स्थान (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मापमान IV और इससे ऊपर के अधिकारी	1000	800	700
2.	मापमान I या II या III के अधिकारी	800	700	600

परंतु मापमान-IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै में बाह्यस्थान आधिकारिक कार्य पर रहते हुए प्रतिदिन देय विराम भत्ता 1200 रुपये होगा और मापमान-I, II या III के अधिकारियों के लिए यह 1000 रुपये होगा।

(7) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट श्रेणी या मापमान के अधिकारी 01 जून, 2015 से स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर विराम भत्ते के हकदार होंगे।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारियों के श्रेणी या मापमान	मेट्रो (रुपये)	'क' वर्ग के प्रमुख शहर (रुपये)	क्षेत्र I (रुपये)	अन्य स्थान (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मापमान VI और इससे ऊपर के अधिकारी	1800	1300	1100	950
2.	मापमान IV और V के अधिकारी	1500	1300	1100	950
3.	मापमान I या II या III के अधिकारी	1300	1100	950	800

(8) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट श्रेणी या मापमान के अधिकारी 01 नवंबर, 2020 से स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर विराम भत्ते के हकदार होंगे।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारियों के श्रेणी या मापमान	मेट्रो (रुपये)	'क' वर्ग के प्रमुख शहर (रुपये)	क्षेत्र I (रुपये)	अन्य स्थान (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मापमान VI और इससे ऊपर के अधिकारी	2700	1950	1650	1425
2.	मापमान IV और V के अधिकारी	2250	1950	1650	1425
3.	मापमान I या II या III के अधिकारी	1950	1650	1425	1200

(9) 01 अप्रैल, 2024 से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट श्रेणी या मापमान के अधिकारी स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर विराम भत्ते के हकदार होंगे।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारियों के श्रेणी या मापमान	मेट्रो (रुपये)	'क' वर्ग के प्रमुख शहर (रुपये)	क्षेत्र I (रुपये)	अन्य स्थान (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मापमान VI और इससे ऊपर के अधिकारी	4050	2925	2475	2150
2.	मापमान IV और V के अधिकारी	3375	2925	2475	2150
3.	मापमान I या II या III के अधिकारी	2925	2475	2150	1800."

22. उक्त विनियमों के विनियम 34 में, उप-विनियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे:-

“(3क) किसी अधिकारी के स्थानांतरण पर 01 मई, 2005 से वह अधिकारी नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट पैकेजिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा और इसी प्रकार के अन्य व्ययों हेतु एकमुश्त रकम प्राप्त करने का हकदार होगा:

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारियों के श्रेणी या मापमान	रुपये
(1)	(2)	(3)
1.	मापमान IV और इससे ऊपर के अधिकारी	8,750
2.	मापमान I, II और III के अधिकारी	7,000

(3ख) किसी अधिकारी के स्थानांतरण पर 01 मई, 2010 से वह अधिकारी नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट पैकेजिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा और इसी प्रकार के अन्य व्ययों के लिए एकमुश्त रकम प्राप्त करने का हकदार होगा:

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारियों के श्रेणी या मापमान	रुपये
(1)	(2)	(3)
1.	मापमान IV और इससे ऊपर के अधिकारी	12,000
2.	मापमान I, II और III के अधिकारी	9,000

(3ग) किसी अधिकारी के स्थानांतरण पर 01 जून, 2015 से वह अधिकारी नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट पैकेजिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा और इसी प्रकार के अन्य व्ययों के लिए एकमुश्त रकम प्राप्त करने का पात्र होगा:

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारियों के श्रेणी या मापमान	रुपये
(1)	(2)	(3)
1.	मापमान IV और इससे ऊपर के अधिकारी	20,000
2.	मापमान I, II और III के अधिकारी	15,000

(3घ) किसी अधिकारी के स्थानांतरण पर 01 नवंबर, 2020 से वह अधिकारी नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट पैकेजिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा और इसी प्रकार के अन्य व्ययों के लिए एकमुश्त रकम प्राप्त करने का हकदार होगा:

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारियों के श्रेणी या मापमान	रुपये
(1)	(2)	(3)
1.	मापमान IV और इससे ऊपर के अधिकारी	30,000
2.	मापमान I, II और III के अधिकारी	25,000

(3ङ) किसी अधिकारी के स्थानांतरण पर 01 अप्रैल, 2024 से वह अधिकारी नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट पैकेजिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा और इसी प्रकार के अन्य व्ययों के लिए एकमुश्त रकम प्राप्त करने का हकदार होगा:

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारियों के श्रेणी या मापमान	रुपये
(1)	(2)	(3)
1.	मापमान IV और इससे ऊपर के अधिकारी	50,000
2.	मापमान I, II और III के अधिकारी	40,000

टिप्पण: उपर्युक्त के अतिरिक्त, नए स्थान पर पदग्रहण की तारीख से पंद्रह दिन तक या तो आवास और भोजन (लॉजिंग व बोर्डिंग) का प्रभार या पंद्रह दिन के विराम भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

23. उक्त विनियमों के विनियम 37 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(1क) (i) 01 मार्च, 2002 से, कोई अधिकारी प्रत्येक चार वर्षीय अथवा द्विवार्षिक खंड में अपने गृह-निवास स्थान की यात्रा हेतु छुट्टी यात्रा रियायत का पात्र होगा। अधिकारी चाहे तो एक द्विवार्षिक खंड में अपने गृह-निवास स्थान की यात्रा कर सकता है तथा दूसरे द्विवार्षिक खंड में भारत में किसी भी स्थान की यात्रा, सबसे छोटे मार्ग से, कर सकता है, अथवा;

(ii) कोई अधिकारी, यथास्थिति, चार वर्ष के ब्लाक या दो वर्ष के ब्लाक के दौरान किसी समय विकल्प का उपयोग करके, अपनी छुट्टी यात्रा रियायत को अधिवास स्थान की यात्रा से भिन्न अन्य किसी स्थान पर अभ्यर्पित और भुना सकेगा, जिस पर वह रेलगाड़ी द्वारा यात्रा को श्रेणी के लिए पात्र किराए के बराबर रकम प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसके लिए वह कनिष्ठ प्रबंधन 1 से श्रेणी या मापमान एमएम 3 के अधिकारी के लिए चार हजार पांच सौ किलोमीटर (एकतरफा) की दूरी तक और ज्येष्ठ प्रबंधन 4 और उससे ऊपर की श्रेणी या मापमान के अधिकारी के लिए पांच हजार सौ किलोमीटर (एक तरफा) की दूरी तक हकदार है।

परंतु कनिष्ठ प्रबंधन 1 श्रेणी या कनिष्ठ प्रबंधन मापमान 1 का कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग करते समय न्यूनतम किराए वाली किसी श्रेणी में हवाई यात्रा करने का हकदार होगा और जिन मामलों में प्रतिपूर्ति वास्तविक किराया या यात्रा की गई दूरी के लिए रेलगाड़ी द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के लिए लागू किराया, जो भी कम हो, या होगा, और वही नियम श्रेणी या मापमान एमएम 2 अधिकारी पर छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग करते समय, जहां दूरी एक हजार किलोमीटर से कम है, लागू होंगे।

(iii) अपनी छुट्टी यात्रा रियायत को भुनाने का विकल्प चुनने वाले अधिकारी को उस ब्लॉक या अवधि के दौरान स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए केवल एक बार दावा करना होगा, जिसमें विशेषाधिकार छुट्टी को भुनाने की सुविधा का उपयोग किया गया है, तथापि छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा को भुनाते समय छुट्टी किराया रियायत का उपभोग भी है।

(1ख)(i) कोई अधिकारी, यथास्थिति, चार वर्ष के ब्लाक या दो वर्ष के ब्लाक के दौरान किसी समय विकल्प का उपयोग करके, अपनी छुट्टी यात्रा रियायत को अधिवास स्थान की यात्रा से भिन्न अन्य किसी स्थान पर अभ्यर्पित और भुना सकेगा, जिस पर वह रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की श्रेणी के लिए पात्र किराए के बराबर रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जिसके लिए वह कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी- मापमान -1, मध्य प्रबंधन श्रेणी- मापमान 2 और 3 के अधिकारियों के लिए पांच हजार पांच सौ किलोमीटर (एकतरफा) की दूरी तक और मापमान 4 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए यह छह हजार पांच सौ किलोमीटर (एकतरफा) के लिए होगा।

(ii) वह पद्धति और श्रेणी जिसके द्वारा कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग कर सकेगा, वही होगा जिसके लिए अधिकारी सामान्यतः स्थानांतरण पर यात्रा करने का हकदार होता है तथा अन्य निबंधन और शर्तें जिनके अधीन कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग कर सकेगा।

परंतु कनिष्ठ प्रबंधन 1 श्रेणी मापमान 1 का कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग करते समय न्यूनतम किराया वाले इकोनॉमी श्रेणी में हवाई यात्रा करने का हकदार होगा और ऐसे मामले में प्रतिपूर्ति वास्तविक किराया या यात्रा की गई दूरी के लिए रेलगाड़ी द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के लिए लागू किराया, जो भी कम हो, होगा और वही नियम जब मध्य प्रबंधन श्रेणी मापमान 2 और मध्य प्रबंधन श्रेणी मापमान 3 के अधिकारी पर छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग करते समय, जहां दूरी पांच सौ किलोमीटर से कम है, लागू होंगे।

(iii) छुट्टी यात्रा रियायत या स्वनगर यात्रा रियायत का स्वतंत्र रूप से उपभोग किया जा सकेगा, जहां पति और पत्नी दोनों ही एक ही बैंक में कार्यरत हैं।

(iv) पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत अधिकारी के लिए छुट्टी किराया रियायत गुवाहाटी से आरंभ होगी और उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी तक की पात्र रेल यात्रा किराया राशि अतिरिक्त रूप से सदत्त की जाएगी और अंडमान और निकोबार द्वीप से चेन्नै या कोलकाता तक, लक्षद्वीप से कोच्चि तक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर में दूरदराज के क्षेत्र की शाखाओं में या किन्हीं अन्य क्षेत्रों में, जो सीधे रेलमार्ग से जुड़े नहीं हैं, निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन तक इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सामान्य पात्रता के अतिरिक्त, छुट्टी किराया रियायत के अधीन प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(v) यात्रा पर निर्देश चिह्न दिव्यांगता वाले अधिकारियों को ऐसे अनुरक्षक के लिए छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा की अनुज्ञात होगी, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन होगी:

(क) प्रत्येक अवसर पर सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

(ख) अधिकारी की शारीरिक दिव्यांगता की प्रकृति ऐसी हो कि यात्रा के लिए अनुरक्षक की आवश्यकता है तथा संदेह की दशा में विभागाध्यक्ष या नियंत्रक का विनिश्चय अंतिम होगा।

(ग) ऐसे दिव्यांगता वाले अधिकारी के साथ उसके आश्रित के रूप में कोई वयस्क कुटुंब सदस्य उपलब्ध नहीं है।

(घ) ऐसे निर्देश चिह्न दिव्यांगता वाले अधिकारी और अनुरक्षक को रेल या बस किराया में, यदि कोई हो, रियायत उपलब्ध होगी, जो ऐसे मामले में रेलवे या राज्य सड़क मार्ग प्राधिकरणों द्वारा दी जाएगी।

(ङ) कोई अन्य व्यक्ति, जो आश्रित के रूप में छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार है, यात्रा पर ऐसे निर्देश चिह्न दिव्यांगता वाले अधिकारी के साथ नहीं जाता है।

[विज्ञापन-III/4/असा./756/2025-26]

श्री उदय शिंदे, महाप्रबंधक

फुट नोट : भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1982 को भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचना के माध्यम से संशोधित कर दिया गया था:-

क्रम संख्या	राजपत्र अधिसूचना संख्या	प्रकाशन की तारीख
1.	सं. पीएफ/एलईजी-26/92	20-3-1993

2.	सं. पीएफ/एलईजी-26/92	20-3-1993
3.	सं. पीएफ/एलईजी-26/93	22-1-1994
4.	सं. एक्जिम/सेवा/2004	29-3-2004
5.	सं. एक्जिम/सेवा/2004	17-7-2004
6.	सं. एक्जिम/सेवा/2004	2-6-2006
7.	सं. एक्जिम/सेवा/2004	2-6-2006

स्पष्टीकारक ज्ञापन

ये विनियम जो भारतीय बैंकों के संयुक्त नोटों में स्वीकृत निबंधनों और शर्तों के अनुसार भूतलक्षी प्रभाव के साथ लागू किए गए हैं और केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के उपरांत बैंक द्वारा इन्हें अंगीकृत किया गया है। अतः ऐसे भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th March, 2026

F. No. 9/8/2010-IF-I—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 39 read with sub-section (3) of section 27 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Board of Directors of Export-Import Bank of India with the previous approval of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the following letters of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services:

- (i) No.11/1/2005-IR, dated the 20th September, 2005;
- (ii) No.11/1/2010-IR, dated the 19th October, 2010;
- (iii) No.9/8/2010-IF-I, dated the 20th September, 2023; and
- (iv) No.9/8/2010/IF-I, dated the 8th July, 2024,

on and from the 1st November, 2002 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Export-Import Bank Officers' Service Regulations, 1982, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Export-Import Bank Officers' Service (Amendment) Regulations, 2026.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export-Import Bank Officers' Service Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (k), the following shall be substituted, namely:-

“(k) ‘pay’ means basic pay including stagnation increments”

3. In regulation 4 of the said regulations.-

(i) after sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be inserted, namely :-

“(1A) On and from the 1st November, 2002, there shall be the following five grades for officers with the scales of pay specified against each of the grades, namely:-

Table

Grade		Scale	Scale of pay
(a)	Special Grade	Scale VIII	Rs.30700-900-31600-1000-32600
(b)	Top Executive Grade	Scale VII	Rs.29340-680-30700-900-31600-1000-32600
		Scale VI	Rs.26620-680-29340
(c)	Senior Management Grade	Scale V	Rs.24140-620-26620
		Scale IV	Rs.20480-560-21040-620-24140

(d)	Middle Management Grade	Scale III	Rs.18240-560-21040-620-22280
		Scale II	Rs.13820-500-14320-560-19920
(e)	Junior Management Grade	Scale I	Rs.10000-470-12820-500-14320-560-18240

(1B) There shall be the following five grades for officers with the scales of pay specified against each of the grades and shall be effective for the period as specified in column (4) of the following Table:

Table

Grade		Scale	Scale of pay	Period for which applicable
(1)		(2)	(3)	(4)
(a)	Special Grade	Scale VIII	Rs.49400-1300-52000	01/11/2007 to 30/11/2011
			Rs.60600-1600-67000	01/12/2011 to 31/10/2012
(b)	Top Executive Grade	Scale VII	Rs.46800-1300-52000	01/11/2007 to 31/10/2012
		Scale VI	Rs.42000-1200-46800	
(c)	Senior Management Grade	Scale V	Rs.36200-1000-38200-1100-40400	01/11/2007 to 31/10/2012
		Scale IV	Rs.30600-900-34200-1000-36200	
(d)	Middle Management Grade	Scale III	Rs.25700-800-29700-900-31500	01/11/2007 to 31/10/2012
		Scale II	Rs.19400-700-20100-800-28100	
(e)	Junior Management Grade	Scale I	Rs.14500-600-18700-700-20100-800-25700	01/11/2007 to 31/10/2012

(1C) There shall be the following five grades for officers with the scales of pay specified against each of the grades and shall be effective for the period as specified in column (4) of the following Table:

Table

Grade		Scale	Scale of pay	Period for which applicable
(1)		(2)	(3)	(4)
(a)	Special Grade	Scale VIII	Rs.101900-3000-113900	01/11/2012 to 30/04/2016
(b)	Top Executive Grade	Scale VII	Rs.76520-2120-85000	01/11/2012 to 31/10/2017
		Scale VI	Rs.68680-1960-76520	
(c)	Senior Management Grade	Scale V	Rs.59170-1650-62470-1800-66070	01/11/2012 to 31/10/2017
		Scale IV	Rs.50030-1460-55870-1650-59170	
(d)	Middle Management Grade	Scale III	Rs.42020-1310-48570-1460-51490	01/11/2012 to 31/10/2017
		Scale II	Rs.31705-1145-32850-1310-45950	
(e)	Junior Management Grade	Scale I	Rs.23700-980-30560-1145-32850-1310-42020	01/11/2012 to 31/10/2017

Note: The position of Executive Director (Special Grade or Scale VIII) stands abolished upon creation of the position of Deputy Managing Director *vide* letter F.No. 9/55/2011-IF-1, dated the 1st December, 2011, issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

(1D) On and from the 1st November, 2017, there shall be the following four grades for officers with the scales of pay specified against each of the grades, namely:-

Table

Grade		Scale	Scale of pay
(a)	Top Executive Grade	Scale VII	Rs.116120-3220-129000
		Scale VI	Rs.104240-2970-116120
(b)	Senior Management Grade	Scale V	Rs.89890-2500-94890-2730-100350
		Scale IV	Rs.76010-2220-84890-2500-89890
(c)	Middle Management Grade	Scale III	Rs.63840-1990-73790-2220-78230
		Scale II	Rs.48170-1740-49910-1990-69810
(d)	Junior Management Grade	Scale I	Rs.36000-1490-46430-1740-49910-1990-63840

(1E) On and from the 1st November, 2022, there shall be the following four grades, for officers with the scales of pay specified against each of the grades namely:-

Table

Grade		Scale	Scale of pay
(a)	Top Executive Grade	Scale VII	Rs.156500-4340-173860
		Scale VI	Rs.140500-4000-156500
(b)	Senior Management Grade	Scale V	Rs.120940-3360-127660-3680-135020
		Scale IV	Rs.102300-2980-114220-3360-120940
(c)	Middle Management Grade	Scale III	Rs.85920-2680-99320-2980-105280
		Scale II	Rs.64820-2340-67160-2680-93960
(d)	Junior Management Grade	Scale I	Rs.48480-2000-62480-2340-67160-2680-85920.'';

(ii) after sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be inserted, namely :-

“(2 A) (i) On and from the 1st May, 2015, the officers in the grade of Junior Management in Scale I, who have moved to the Grade of Middle Management in Scale II, after reaching the maximum of the higher scale, shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs. 1310 each and next two Rs. 1460 each.

(ii) On and from the 1st May, 2015, the officers in the grade of Middle Management in Scale II, who have moved to Scale III, after reaching the maximum of higher scale, shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 1460 for every three completed years of service and fourth stagnation increment of Rs. 1460 for every two years after receipt of third stagnation increment.

(iii) On and from the 1st May, 2015, the officers in the grade of Middle Management in Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs. 1460 each for every three completed years of service and fifth stagnation increment of Rs. 1460 two years after receipt of fourth stagnation increment.

(iv) On and from the 1st May, 2015, the officers in the grade of Senior Management in Scale IV, shall be eligible for one stagnation increment of Rs. 1650 or three years after reaching the maximum of Scale.

(2B) (i) On and from the 1st November, 2017, the officers in the grade of Junior Management in Scale I, who have moved to the grade of Middle Management in Scale II, after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service of which first four stagnation increments shall be released after every two completed years of service, of which two shall be Rs. 1990 each and next two Rs. 2220 each and the fifth stagnation increment of Rs. 2220 shall be released after two years after receipt of the fourth stagnation increment, whichever is later.

(ii) On and from the 1st November, 2017, the officers in the grade of Middle Management in Scale II, who have moved to Scale III, after reaching maximum of higher scale shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service of which first four stagnation increments of Rs. 2,200 shall be released after every two completed years of service and the fifth stagnation increment of Rs. 2220 shall be released after two years after receipt of fourth stagnation increment, whichever is later.

(iii) On and from the 1st November, 2017, the officers in the grade of Middle Management in Scale III shall be eligible for six stagnation increments and the first four stagnation increment of Rs. 2220 after every two completed years of service and next two increment of Rs. 2500 each, two years after receipt of the fourth stagnation increment. The sixth stagnation increment of Rs. 2500 shall be released two years after receipt of fifth stagnation, whichever is later.

(iv) On and from the 1st November, 2017, the officers in the grade of Senior Management IV shall be eligible for one stagnation increment of Rs. 2500 two years after reaching the maximum of scale. The officers shall also be eligible for one additional stagnation increment of Rs. 2730 after two years of receipt of first stagnation increment, whichever is later.

(v) On and from the 1st November, 2020, the officers in the grade of Senior Management in Scale V shall be eligible for one stagnation increment of Rs. 2970 two years after reaching the maximum of scale, whichever is later.

(2C) (i) Officers in the grade of Junior Management in Scale I, who have moved to the grade of Middle Management II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for seven stagnation increments with frequency of two years each, of which first two stagnation increments shall be Rs. 2680 each and next five shall be Rs. 2980 each:

Provided that officers in the grade of Junior Management I, who are already in receipt of five stagnation increments shall be eligible for the monetary benefit of the sixth stagnation increment of Rs. 2980 two years after the release of the fifth stagnation increment or, from the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that officers in the grade of Junior Management I shall be eligible for the monetary benefit of the seventh stagnation increment after four years after release of the fifth stagnation or, from the 1st November, 2022, whichever is later.

(ii) Officers in the grade of Middle Management II, who have moved to scale of pay for Middle Management III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for seven stagnation increments with frequency of two years each of Rs. 2980:

Provided that officers in the grade of Middle Management II, who are already in receipt of five stagnation increments shall be eligible for the monetary benefit of the sixth stagnation increment of Rs. 2980 two years after release of the fifth stagnation increment or, from the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that those officers in grade or scale of Middle Management II, who are already in receipt of five stagnation increments shall be eligible for the monetary benefit of the seventh stagnation increment four years after release of the fifth stagnation increment or, from the 1st November, 2022, whichever is later.

(iii) Officers in the grade or scale of Middle Management III shall be eligible for eight stagnation increments, with frequency of two years each, of which first four shall be Rs. 2980 each and next four shall be of Rs. 3360 each:

Provided that officers in grade or scale of Middle Management III, who are already in receipt of six stagnation increments shall be eligible for the monetary benefit of the seventh stagnation increment of Rs. 3360 two years after release of the sixth stagnation increment or, from the 1st November, 2022:

Provided further that those officers in grade or scale of Middle Management III, who are already in receipt of six stagnation increments shall be eligible for the monetary benefit of the eighth stagnation increment four years after receiving the sixth stagnation increment from the 1st November, 2022.

(iv) Officers in the grade or scale of Senior Management IV shall be eligible for five stagnation increments after reaching maximum of the scale, with frequency of two years each, of which the first stagnation increment shall be Rs. 3360 and next four shall be of Rs. 3680 each:

Provided that officers in grade or scale of Senior Management IV, who are already in receipt of the two stagnation increments shall be eligible for the monetary benefit of the third stagnation increment of Rs. 3680 or two years after the release of the second stagnation increment or, from the 1st November, 2022, whichever is later.

Provided further that officers in grade or scale of Senior Management IV, who are already in receipt of the two stagnation increments shall be eligible for the monetary benefit of the fourth stagnation four years after the release of the second stagnation increment or, from the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that those officers in grade or scale of Senior Management IV, who are already in receipt of the two stagnation increments shall be eligible for the monetary benefit of the fifth stagnation increment six years after receiving the second stagnation increment or, from the 1st November, 2022, whichever is later.

(v) Officers in the grade or scale of Senior Management V shall be eligible for four stagnation increments after reaching maximum of the scale, with frequency of two years each of Rs. 4000 each:

Provided that those officers in grade or scale of Senior Management V, who are already in receipt of first stagnation increment shall be eligible for the monetary benefit of the second stagnation increment of Rs. 4000 four years after reaching the maximum of scale or, from the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that officers in grade or scale of Senior Management V shall be eligible for the monetary benefit of the third stagnation increment six years after reaching the maximum of scale or, from the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that officers in grade or scale of Senior Management V shall be eligible for the monetary benefit of the fourth stagnation increment eight years after reaching the maximum of scale or, from the 1st November, 2022, whichever is later.

(vi) Officers in the grade or scale of Top Executive VI shall be eligible for three stagnation increments after reaching maximum of scale, with frequency of two years each, out of which first two shall be of Rs. 4000 each and the third stagnation shall be of Rs. 4340:

Provided that those officers in grade or scale of Top Executive VI, who are already at the maximum in the scale of pay, shall be eligible for the monetary benefit of the first stagnation increment of Rs. 4000 two years after reaching the maximum of scale or, from the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that those officers in grade or scale of Top Executive VI, who are already at the maximum in the scale of pay, shall be eligible for the monetary benefit of the second stagnation increment four years after reaching maximum of scale or, from the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that those officers in grade or scale of Top Executive VI, who are already at the maximum in the scale of pay, shall be eligible for the monetary benefit of the third stagnation increment six years after reaching maximum of scale or, from the 1st November, 2022, whichever is later.

(vii) Officers in the grade or scale of Top Executive VII shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 4340 each, with frequency of two years each after reaching maximum of scale:

Provided that those officers in grade or scale of Top Executive VII, who are already at the maximum in the scale of pay, shall be eligible for the monetary benefit of the first stagnation increment of Rs. 4340 two years after reaching the maximum of scale or, from the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that those officers in grade or scale of Top Executive VII, who are already at the maximum in the scale of pay, shall be eligible for the monetary benefit of the second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or, from the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that those officers in grade or scale of Top Executive VII, who are already at the maximum in the scale of pay, shall be eligible for the monetary benefit of the third stagnation increment six years after reaching maximum of scale or, from the 1st November, 2022, whichever is later.''

4. In regulation 5 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be inserted, namely :-

“(2A)(i) On and from the 1st November 2002, an additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certified Associate of Indian Institute of Banker examination:

Provided that officers shall be eligible for a Professional Qualification Allowance -

- (a) those who have passed only Certified Associate of Indian Institute of Banker - Part I or Junior Associate of Indian Institute of Banker Rs. 300 per month one year after reaching top of the scale;
- (b) those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Banker:
- (A) Rs. 300 per month one year after reaching top of the scale;
- (B) Rs. 750 per month two years after reaching top of the scale.

Professional Qualification Allowance shall rank for dearness allowance, house rent allowance and terminal benefits.

(ii) An officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Banker or Certified Associate of Indian Institute of Banker (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay shall be granted from the date of acquiring of such qualification the first instalment of Professional Qualification Allowance and the release of subsequent instalments of Professional Qualification Allowance shall be with reference to the date of release of first instalment of Professional Qualification Allowance:

Provided that in a case, where an officer, as on the 2nd June, 2005, has already acquired any of the above said qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Allowance on account of acquiring such qualification, on the date of acquiring such qualification or, from the 1st November, 2002, whichever is later, released Professional Qualification Allowance.

(2B)(i) On and from the 1st November, 2007, an additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certified Associate of Indian Institute of Banker examination:

Provided that officers shall be eligible for a Professional Qualification Pay -

- (a) those who have passed only Certified Associate of Indian Institute of Banker - Part I or Junior Associate of Indian Institute of Banker Rs. 410 per month one year after reaching top of the scale;
- (b) those who have passed both parts of only Certified Associate of Indian Institute of Banker:
- (A) Rs. 410 per month one year after reaching top of the scale;
- (B) Rs. 1030 per month two years after reaching top of the scale.

Professional Qualification Pay shall rank for dearness allowance, house rent allowance and terminal benefits.

(ii) An officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Banker or Certified Associate of Indian Institute of Banker (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first instalment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent instalments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first instalment of Professional Qualification Pay:

Provided that in a case where an officer, as on the 27th April, 2010 has already acquired any of the above said qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, on the date of acquiring such qualification or, from the 1st November, 2007, whichever is later, released Professional Qualification Pay.

(2C)(i) On and from the 1st November, 2012, an additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certified Associate of Indian Institute of Banker examination:

Provided that officers shall be eligible for a Professional Qualification Pay-

- (a) those who have passed only Certified Associate of Indian Institute of Banker-Part I or Junior Associate of Indian Institute of Banker Rs. 670 per month one year after reaching top of the scale;
- (b) those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Banker;
- (A) Rs. 670 per month one year after reaching top of the scale;
- (B) Rs. 1680 per month two years after reaching top of the scale.

Professional Qualification Pay shall rank for dearness allowance, house rent allowance and terminal benefits.

(ii) An officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Banker or Certified Associate of Indian Institute of Banker (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first instalment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent instalments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first instalment of Professional Qualification Pay.

(2D)(i) On and from the 1st November, 2017, an additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certified Associate of Indian Institute of Banker examination:

Provided that officers shall be eligible for a Professional Qualification Pay-

(a) those who have passed only Certified Associate of Indian Institute of Banker -Part I or Junior Associate of Indian Institute of Banker Rs. 1020 per month one year after reaching top of the scale;

(b) those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Banker:

(A) Rs. 1020 per month one year after reaching top of the scale;

(B) Rs. 2550 per month two years after reaching top of the scale.

Professional Qualification Pay shall rank for dearness allowance, house rent allowance and terminal benefits.

(ii) An officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Banker or Certified Associate of Indian Institute of Banker (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first instalment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent instalments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first instalment of Professional Qualification Pay.

(2E) An officer employee apart from one increment for completing Junior Associate of the Indian Institute of the Bankers, officers completing Certified Associate of Indian Institute of Bankers shall be eligible for two increments in their scale of pay:

Provided that officers who are completing Junior Associate of Indian Institute of Banker after reaching the top or maximum of scale shall be released with first instalment of Professional Qualification Pay from the date of passing:

Provided further that an officer as on the date of this settlement, has already acquired or shall acquire hereinafter Junior Associate of Indian Institute of Banker or Certified Associate of Indian Institute of Banker after reaching top or maximum of the scale of pay (in case of Junior Associate of Indian Institute of Banker or Certified Associate of Indian Institute of Banker) or after reaching the stage which is 1 stage less than maximum of scale of pay (in case of Certified Associate of Indian Institute of Banker or Certified Associate of Indian Institute of Banker II), and has not earned increment, otherwise entitled on account of acquiring such qualification, when there were no increment to provide in the scale of pay of those employees, the stagnation increment in such cases may be advanced by one year or two years as the case may be:

Provided also that officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed Certified Associate of Indian Institute of Banker or Certified Associate of Indian Institute of Banker II shall be eligible for second additional increment from the 1st November, 2022 or date of passing Certified Associate of Indian Institute of Banker or Certified Associate of Indian Institute of Banker II, whichever is later.

Provided also that officers who were in services of the Bank as on 1st November, 2022 and have already completed Certified Associate of Indian Institute of Banker or Certified Associate of Indian Institute of Banker II and drawing Professional Qualification Pay-II shall be eligible for Professional Qualification Pay-III one year after the release of Professional Qualification Pay-II or, from the 1st November, 2022, whichever is later.

Explanation.- For the purposes of this proviso, it is clarified that an officer who has completed Junior Associate of Indian Institute of Banker or Certified Associate of Indian Institute of Banker I or Certified Associate of Indian Institute of Banker (Certified Associate of Indian Institute of Banker II) and has reached the maximum in the scale of pay on or before the 1st November, 2022 and has not received the first stagnation increment on or before the 1st November, 2022 shall be eligible for Professional Qualification Pay-I, from the 1st November, 2022 and release of subsequent instalment of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of Professional Qualification Pay I:

Provided also that officers shall be eligible for a Professional Qualification Pay as under:

Table

Serial number	Particulars	Pay
(1)	(2)	(3)
1.	Those who have passed only Junior Associate of Indian Institute of Banker.	Professional Qualification Pay – I, Rs. 1370 per month one year after reaching top or maximum of the scale.

2.	Those who have passed Certified Associate of Indian Institute of Banker (Certified Associate of Indian Institute of Banker II)	Professional Qualification Pay – I, Rs. 1370 per month one year after reaching top or maximum of the scale. Professional Qualification Pay – II, Rs. 3425 per month two years after reaching top or maximum of the scale. Professional Qualification Pay – III, Rs. 5480 per month three years after reaching top or maximum of the scale.
----	--	--

Professional Qualification Pay shall rank for dearness allowance, house rent allowance and terminal benefits.

Explanation.- For the purposes of this proviso, it is clarified that an officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Banker or Certified Associate of Indian Institute of Banker qualifications after reaching the top or maximum stage of the scale of pay shall be granted from the date of acquiring such qualification the first instalment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent instalments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first instalment of Professional Qualification Pay.”.

5. Regulation 12 of the said regulations shall be renumbered as 12(1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulations shall be inserted, namely :-

“(2) On and from the 1st November, 2002, Dearness Allowance shall be payable to an officer on the basis of the following All India Average Working Class Consumer Price Index (General) (Base 1960=100), namely:-

- (a) Dearness Allowance shall be linked to the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) (Base 1960=100);
- (b) Dearness Allowance shall be payable only when the Average Index is above Consumer Price Index 2288;
- (c) above 2288 points (All India Average Consumer Price Index (General) (Base 1960=100), for each four point cycle, rise or fall, quarterly average, quarterly adjustments,-

(i) for the period from the 1st November 2002 to the 31st January 2005, Dearness Allowance shall be payable at the following rates, namely:-

- | | |
|----------|---|
| 1st slab | 0.18 per cent. of pay upto Rs. 9650 plus; |
| 2nd slab | 0.15 per cent. of pay above Rs. 9650 and upto Rs.15350 plus; |
| 3rd slab | 0.09 per cent. of pay above Rs. 15350 and upto Rs.16350 plus; |
| 4th slab | 0.04 per cent. of pay above Rs. 16350; |

(ii) on and from the 1st February, 2005, Dearness Allowance shall be payable at 0.18 per cent. of pay.

(3) On and from the 1st November, 2007, Dearness Allowance shall be payable to an officer on the basis of the following, namely :-

- (i) Dearness Allowance shall be linked to the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) (Base 1960=100);
- (ii) Dearness Allowance shall be payable only when the Average Index is above Consumer Price Index 2836;
- (iii) above 2836 points All India Average Consumer Price Index (General) (Base 1960=100), for each four points cycle, rise or fall, quarterly average, quarterly adjustments;

- (iv) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) (Base 1960 = 100) at 0.15 per cent. of pay.

(4) On and from the 1st November, 2012, Dearness Allowance shall be payable to an officer on the basis of the following, All India Average Working Class Consumer Price Index (General) (Base 1960 = 100) namely:-

- (i) Dearness Allowance shall be linked to the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) (Base 1960=100);
- (ii) Dearness Allowance shall be payable only when the Average Index is above Consumer Price Index 4440;
- (iii) above 4440 points All India Average Consumer Price Index (General) (Base 1960=100), for each 4 point and cycle, rise or fall, quarterly average, quarterly adjustments;
- (iv) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) (Base 1960 = 100) at 0.10 per cent. of pay.

(5) On and from the 1st November, 2017, Dearness Allowance shall be payable to an officer on the basis of following All India Average Working Class Consumer Price Index (General) (Base 1960 = 100), , 2017, namely:-

- (i) Dearness Allowance shall be linked to the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) (Base 1960=100);
- (ii) Dearness Allowance shall be payable only when the Average Index is above Consumer Price Index 6352;
- (iii) above 6352 points All India Average Consumer Price Index (General) (Base 1960=100), for each four points cycle, rise or fall, quarterly average, quarterly adjustments;
- (iv) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) (Base 1960 = 100) at 0.07 per cent. of pay.

(6) On and from the 1st November, 2022, Dearness Allowance shall be payable to an officer at the rate of one per cent. of pay per percentage point of Index.

Note: Dearness Allowance shall be paid for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All-India Consumer Price Index for Industrial Workers Base 2016=100, 0.01 per cent. change in dearness allowance on pay for change in every second decimal place of Consumer Price Index 2016 over 123.03 points. The change in the Dearness Allowance rate may be released on a quarterly basis on 1st day of May, 1st day of August, 1st day of November and 1st day of February based on the following Table, namely:-

Table

Serial number	Dearness allowance release date	Quarterly average of consumer price index points of the months	Applicable for the month
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1 st May	January, February and March	May, June and July
2.	1 st August	April, May and June	August, September and October
3.	1 st November	July, August and September	November, December and January
4.	1 st February	October, November and December	February, March and April

Note: There shall be no ceiling on Dearness Allowance and all other existing provisions relating to Dearness Allowance Scheme shall remain unchanged and working out quarterly average up to first two decimals shall be considered.”.

6. After regulation 12 of the said regulations, the following regulations shall be inserted, namely :-

“12A (1) On and from the 1st November, 2012, an officer shall be paid Special Allowance, as under:

Scale I - III	-	7.75 per cent. of pay + Applicable Dearness Allowance thereon
Scale IV- V	-	10 per cent. of pay + Applicable Dearness Allowance thereon
Scale VI - VII	-	11 per cent. of pay + Applicable Dearness Allowance thereon

Note: The Special Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefit for pension including National Pension Scheme and Provident Fund and Gratuity.

(2) On and from the 1st Novemebr, 2017, an officer shall be paid Special Allowance, as under:

Scale I - III	-	16.40 per cent. of pay + Applicable Dearness Allowance thereon
Scale IV- V	-	19 per cent. of pay + Applicable Dearness Allowance thereon
Scale VI- VII	-	20 per cent. of pay + Applicable Dearness Allowance thereon

Note: The Special Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits for pension including National Pension Scheme and Provident Fund and Gratuity.

(3) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be paid special allowance, , as under:

Scale I	:	26.50 per cent.
Scale II & III	:	28.30 per cent.
Scale IV, V	:	30.50 per cent.
Scale VI, VII	:	31.50 per cent.

Note: The Special Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits for pension including National Pension Scheme and Provident Fund and Gratuity.

12B (1) On and from the 1st November, 2017, an officer shall be paid Learning Allowance of Rs. 600 per month with applicable Dearness Allowance thereon..

(2) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be paid Learning Allowance of Rs. 850 with applicable Dearness Allowance thereon.

Note: Learning Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits for pension including Defined Contribution Pension System (National Pension Scheme), and Provident Fund and Gratuity.”.

7. In regulation 13 of the said regulations, -

(i) after sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be inserted, namely :-

“(1A) On and from the 1st November, 2002, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, the officer shall pay to the Bank, every month 1.75 per cent. of his pay at the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent, whichever is less for the unfurnished accommodation and also pay additional 0.40 per cent. of his pay at the first stage of the scale of pay in which he is placed towards the furniture or furnishing provided to him by the Bank.

(1B) On and from the 1st November, 2007, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, the officer shall pay to the Bank, every month 1.20 per cent. of his pay at the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent, whichever is less for the unfurnished accommodation provided to him by the Bank, and shall also pay additional 0.25 per cent. of pay at the first stage of the scale of pay in which he is placed towards the furniture or furnishing provided to him by the Bank.

(1C) On and from the 1st November, 2012, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, the officer shall pay to the Bank, every month 0.75 per cent. of his pay at the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent, whichever is less for the unfurnished accommodation provided to him by the Bank, and shall also pay additional 0.15 per cent. of the pay at the first stage of the scale of pay in which he is placed towards the furniture or furnishing provided to him by the Bank.

(1D) On and from the 1st November, 2017, where an officer is provided residential accommodation by the Bank, the officer shall pay to the Bank, every month 0.50 per cent. of his pay at the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent, whichever is less for the unfurnished accommodation provided to him by the Bank, and shall also pay additional 0.10 per cent. of the pay at the first stage of the scale of pay in which he is placed towards the furniture or furnishing provided to him by the Bank.

(1E) On and from the 1st November, 2022, where an officer is provided residential accommodation by the Bank, the officer shall pay to the Bank, every month 0.35 per cent. of his pay at the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent, whichever is less for the unfurnished accommodation provided to him by the Bank, and shall also pay additional 0.075 per cent. of the pay at the first stage of the scale of pay in which he is placed towards the furniture or furnishing provided to him by the Bank.”;

(ii) after sub-regulations (2), the following sub-regulations shall be inserted, namely :-

(2A) On and from the 1st November, 2002, where an officer is not provided residential accommodation by the Bank, the officer shall be eligible for a House Rent Allowance per month depending on place of posting, as specified in the Table below namely:

Table

Serial number	Area	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Major 'A' Class Cities (New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Ahmedabad and Project Area Centres in Group 'A')	8.5 per cent. of pay
2.	Other Places in Area I, (population of twelve lakhs and above and Project Area Centres in Group 'B')	7.5 per cent. of pay
3.	Other places	6.5 per cent. of pay

Note: Project area centres in group 'A' and group 'B' shall be as per classification in the banking industry.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of one 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as specified in column (3) of the Table above.

(2B) On and from the 1st November, 2007, where an officer is not provided residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for a House Rent Allowance per month, depending on his place of posting, as specified in the Table below namely:

Table

Serial number	Area	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Major 'A' Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5 per cent. of pay
2.	Other places in Area I, and Project Area Centres in Group B and state of Goa	7.5 per cent. of pay
3.	Other places	6.5 per cent. of pay

Note: Project area centres in group 'A' and group 'B' shall be as per classification in the banking industry.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as specified in column (3) of the Table above.

Note: The claims of the officer for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent. of the House Rent Allowance as hitherto.

(2C) On and from the 1st November, 2012, where an officer is not provided residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for a House Rent Allowance per month, depending on his place of posting, as specified in the Table below namely:

Table

Serial number	Area	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Major 'A' Class Cities and Project Area Centres in Group A	9 per cent. of pay
2.	Other places in Area I, and Project Area Centres in Group B and state of Goa	8 per cent. of pay
3.	Other places	7 per cent. of pay

Note: Project area centres in group 'A' and group 'B' shall be as per classification in the banking industry.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by the him for the residential accommodation in excess over 0.75 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as specified in column (3) of the Table above.

Note: The claims of the officer for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent. of the house rent allowance as hitherto.

(2D) On and from the 1st November, 2017, where an officer is not provided residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for a house rent allowance per month, depending on place of his posting, as specified in the Table below namely: .

Table

Serial number	Area	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	9 per cent. of pay
2.	Other Places in Area I, and Project Area Centres in Group B and state of Goa	8 per cent. of pay
3.	Other places	7 per cent. of pay

Note: Project area centres in group 'A' and group 'B' shall be as per classification in the banking industry.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.50 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he the officer is placed with a maximum of 150 per cent. of the house rent allowance payable as specified in column (3) of the Table above.

Note: The claims of the officer for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.

(2E) On and from the 1st November, 2022, where an officer is not provided residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for a House Rent Allowance per month, depending on place of his posting, as specified in the Table below namely:

Table

Serial number	Area	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Major 'A' Class Cities and Project Area Centres in Group 'A'	10 per cent. of pay
2.	Other places in Area I, and Project Area Centres in Group B and state of Goa	9 per cent. of pay
3.	Other places	8 per cent. of pay

Note:- Project area centres in group 'A' and group 'B' shall be as per classification in the banking industry.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.35 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which the officer is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as specified in column (3) of the table above.

Note: The claim of officer for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.”

8. Regulation 14 of the said regulations shall be renumbered as 14(1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulations shall be inserted, namely :-

“(2) On and from the 1st November, 2002, no officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 1.75 per cent. of the pay at the first stage of the scale of pay in which the officer is placed for unfurnished accommodation and 2.15 per cent. of the pay at the first stage of the scale of pay in which he is placed for furnished accommodation or the standard rent, whichever is less for such accommodation. Where such furnished or unfurnished residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer and not by the Bank.

(3) On and from the 1st November, 2007, no officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 1.20 per cent. of the pay at the first stage of the scale of pay in which the officer is placed for unfurnished accommodation and 1.45 per cent. of the pay at the first stage of the scale of pay in which the officer is placed for furnished accommodation or the standard rent, whichever is less for such accommodation. Where such furnished or unfurnished residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer and not by the Bank.

(4) On and from the 1st November, 2012, no officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 0.75 per cent. of the pay at the first stage of the scale of pay in which the officer is placed for unfurnished accommodation and 0.90 per cent. of the pay at the first stage of the scale of pay in which the officer is placed for furnished accommodation or the standard rent, whichever is less for such accommodation. Where such furnished or unfurnished residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer and not by the Bank.

(5) (i) On and from the 1st November, 2017, the house rent recovery shall be 0.50 per cent. of the first stage of the scale of pay in which the officer is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less.

(ii) On and from the 1st November, 2017, the furniture rent recovery shall be 0.10 per cent. of the first stage of the scale of pay in which the officer is placed.

(6) (i) On and from the 1st November, 2022, the house rent recovery shall be 0.35 per cent. of the first stage of the scale of pay in which the officer is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less.

(ii) On and from the 1st November, 2022, the furniture rent recovery shall be 0.075 per cent. of the first stage of the scale of pay in which the officer is placed.”

9. Regulation 15 of the said regulations, shall be renumbered as 15(1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulations shall be inserted, namely :-

“(2) On and from the 1st November, 2002, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance, depending on place of posting, as specified in the Table below namely:-

Table

Serial number	Area	Rate	Maximum (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Places in area I and in the State of Goa	Four per cent. of pay	540 per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Three per cent. of pay	375 per month

(3) On and from the 1st November, 2007, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance, depending on place of posting, as specified in the Table below, namely:-

Table

Serial number	Area	Rate	Maximum (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Places in area I and in the State of Goa	Four per cent. of pay	540 per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Three per cent. of pay	375 per month

(4) On and from the 1st November, 2012, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance, depending on place of posting, as specified in the Table below, namely :-

Table

Serial Number	Area	Rate	Maximum (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Places in area I and in the State of Goa	Four per cent. of pay	870 per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Three per cent. of pay	600 per month

(5) On and from the 1st November, 2017, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance, depending on place of posting, as specified in the Table below, namely :-

Table

Serial number	Area	Maximum (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Places in area I and in the State of Goa	1,400 per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	1,150 per month

(6) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance, depending on place of posting, as specified in the Table below, namely :-

Table

Serial number	Area	Maximum (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Places in area I and in the State of Goa	Rs. 2300 per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1900 per month.”.

10. In regulation 15A of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

(3) On and from the 1st November, 2004, the Fixed Personal Allowance with House Rent Allowance shall be at the rate specified in the Table below and shall remain frozen for the entire period of service, namely:-

Table

Serial number	Increment Component (rupee)	Dearness Allowance as on 1st November, 2002 (rupees)	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided (rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	560	23	583
2.	620	25	645
3.	680	28	708
4.	1000	41	1041

Note 1 : Fixed Personal Allowance as specified in column (4) above shall be payable to those officer employees who are provided with Bank's accommodation.

Note 2 : Fixed Personal Allowance for officers eligible for House Rent Allowance shall be as specified in columns (2) plus (3) plus House Rent Allowance drawn by the officer concerned when the last increment of the relevant scale of pay as provided in sub-regulation (1A) of regulation 4 is earned.

Note 3 : The increment component of Fixed Personal Allowance shall rank for superannuation benefits.

(4) On and from the 1st November, 2007, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the rate specified in the Table below and shall remain frozen for the entire period of service, namely:-

Table

Serial number	Increment component (rupee)	Dearness Allowance as on 1st November, 2007 (rupees)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	800	58	858
2.	900	65	965
3.	1000	72	1072
4.	1100	79	1179
5.	1200	86	1286
6.	1300	94	1394

Note 1 : Fixed Personal Pay as specified in column (4) above shall be payable to those officer employees who are provided with Bank's accommodation.

Note 2 : Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be as specified in column (2) plus column (3) plus House Rent Allowance drawn by the officer concerned when the last increment of the relevant scale of pay as provided in sub-regulation (1B) of regulation 4 is earned.

Note 3 : The increment component of Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(5) On and from the 1st November, 2012, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the rate specified in the Table below and shall remain frozen for the entire period of service, namely:-

Table

Serial number	Increment component (rupee)	Dearness Allowance as on 1st November, 2012 (rupees)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (rupee)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1310	143	1453
2.	1460	159	1619
3.	1650	180	1830
4.	1800	196	1996
5.	1960	214	2174
6.	2120	231	2351

Note 1 : Fixed Personal Pay as specified in column (4) above shall be payable to those officer employees who are provided with Bank's accommodation.

Note 2 : Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be as specified in column (2) plus column (3) plus House Rent Allowance drawn by the officer concerned when the last increment of the relevant scale of pay as provided in sub-regulation (1C) of regulation 4 is earned.

Note 3 : The increment component of Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(6) On and from the 1st November, 2017, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the rate specified in the Table below and shall remain frozen for the entire period of service, namely:-

Table

Serial number	Increment Component (rupee)	Dearness Allowance as on 1st November, 2017 (rupees)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1990	53	2043
2.	2220	59	2279
3.	2500	66	2566
4.	2730	73	2803
5.	2970	79	3049
6.	3220	86	3306

Note 1 : Fixed Personal Pay as specified in column (4) above shall be payable to those officer employees who are provided with Bank's accommodation.

Note 2 : Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be as specified in column (2) plus column (3) plus House Rent Allowance drawn by the officer concerned when the last increment of the relevant scale of pay as provided in sub-regulation (1D) of regulation 4 is earned.

Note 3 : The increment component of Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

Note 4 : Only officers who were in the service of the bank on or before the 1st November, 1993, shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay in which they are placed.

- (7) On and from the 1st November, 2022, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance shall be at the rate given in the following Table below and shall remain frozen for the entire period of service, namely:-

Table

Serial number	Increment component (rupees)	Dearness Allowance as on 1st November, 2022 (rupees)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2680	200	2880
2.	2980	222	3202
3.	3360	250	3610
4.	3680	274	3954
5.	4000	298	4298
6.	4340	323	4663

Note 1: Fixed Personal Pay as specified in column (4) above shall be payable to those officer employees who are provided with Bank's accommodation.

Note 2: Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be as specified in columns (2) plus (3) plus House Rent Allowance payable on the last increment of the relevant scale of pay as provided in the sub-regulation (1E) of regulation 4 is earned.

Note 3: The increment component of Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

Note 4: Only officers who were in the service of the bank on or before the 1st November, 1993, shall be eligible for Fixed Personal Pay, one year after reaching the top or maximum scale of pay in which they are placed.”.

11. Regulation 16 of the said regulations shall be renumbered as 16(1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulations shall be inserted, namely :-

“(2) On and from the 1st January, 2004, if an officer is transferred on long term basis, from one place to another in the midst of an academic year, and if, he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 500 per month from the date he reports to the latter place upto the end of that academic year in respect of all the children:

Provided that such allowance shall cease earlier, if all the children cease studying at the former place.

(3) On and from the 1st May, 2010, if an officer is transferred on long term basis, from one place to another in the midst of an academic year, and if, he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of that academic year in respect of all the children:

Provided that such allowance shall cease earlier, if all the children cease studying at the former place.

(4) On and from the 1st June, 2015, if an officer is transferred on long term basis, from one place to another in the midst of an academic year, and if, he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 1,100 per month from the date he reports to the latter place upto the end of that academic year in respect of all the children:

Provided that such allowance shall cease earlier, if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st November, 2020, if an officer is transferred on long term basis, from one place to another in the midst of an academic year, and if, he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 1,650 per month from the date he reports to the latter place upto the end of that academic year in respect of all the children:

Provided that such allowance shall cease earlier, if all the children cease studying at the former place.

(6) On and from the 1st April, 2024, if an officer is transferred on long term basis, from one place to another in the midst of an academic year, and if, the officer has one or more children (maximum upto two children) studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 2500 per month per child from the date he reports to the latter place upto the end of that academic year in respect of all the children:

Provided that such allowance shall cease earlier, if all the children cease studying at the former place”.

12. Regulation 17 of the said regulations shall be renumbered as 17(1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulations shall be inserted, namely :-

“(2) On and from the 1st June, 2005, if an officer is deputed to serve outside the Bank, the officer may opt to receive the emoluments attached to the post to which the officer is deputed, alternatively, the officer may in addition to his pay draw a deputation allowance of 7.75 per cent. of the officer’s pay with a maximum of Rs. 1,500 per month and the officer shall draw such other allowance as the officer would have drawn had the officer been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where the officer is deputed to an organisation which is located at the same place where the officer was posted immediately prior to the officer’s deputation, the officer shall receive a deputation allowance equal to four per cent. of the officer’s pay with a maximum of Rs. 750 per month.

(3) On and from the 1st May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, the officer may opt to receive the emoluments attached to the post to which the officer is deputed alternatively, the officer may in addition to the officer’s pay draw a deputation allowance of 7.75 per cent. of the officer’s pay with a maximum of Rs. 2,300 per month and the officer shall draw such other allowance as the officer would have drawn had the officer been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where the officer is deputed to an organisation which is located at the same place where the officer was posted immediately prior to the officer’s deputation or the training establishment of the Bank, the officer shall receive a deputation allowance equal to four per cent. of the officer’s pay with a maximum of Rs. 1,200 per month.

(4) On and from the 1st June, 2015, if an officer is deputed to serve outside the Bank, the officer may opt to receive the emoluments attached to the post to which the officer is deputed, alternatively, the officer may in addition to the officer’s pay draw a deputation allowance of 7.75 per cent. of the officer’s pay with a maximum of Rs. 4,000 per month and the officer shall draw such other allowance as the officer would have drawn had the officer been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where the officer is deputed to an organisation which is located at the same place where the officer was posted immediately prior to the officer’s deputation or the training establishment of the Bank, the officer shall receive a deputation allowance equal to four per cent. of the officer’s pay with a maximum of Rs. 2,000 per month.

(5) On and from the 1st November, 2020, if an officer is deputed to serve outside the Bank, the officer may opt to receive the emoluments attached to the post to which the officer is deputed, alternatively, the officer may in addition to the officer’s pay draw a deputation allowance of 7.75 per cent. of the officer’s pay with a maximum of Rs. 6,000 per month and the officer shall draw such other allowance as the officer would have drawn had the officer been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where the officer is deputed to an organisation which is located at the same place where the officer was posted immediately prior to the officer’s deputation or the training establishment of the Bank, the officer shall receive a deputation allowance equal to four per cent. of the officer’s pay with a maximum of Rs. 3,000 per month.

(6) On and from the 1st April, 2024, if an officer is deputed to serve outside the Bank, to an organisation in a different place other than the present place of posting, the officer may opt to receive the emoluments attached to the post to which the officer is deputed, alternatively, the officer may in addition to the officer’s pay draw a deputation allowance of 7.75 per cent. of the officer’s pay with a maximum of Rs. 7,500 per month and the officer shall draw such other allowance as the officer would have drawn had the officer been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where the officer is deputed to another organisation which is located at the same place or to the training establishment not owned by the Bank, all the officer shall receive a deputation allowance equal to four per cent. of the officer’s pay with a maximum of Rs. 3,750 per month.

(7) On deputation of an officer to another office or branch within the same municipal limits or urban agglomeration, in Metro or Major 'A' Class cities, where the distance of such deputation is twenty kilometers and more from the parent branch or office, halting allowance as provided under sub-regulation (2) of regulation 34 shall be payable.”.

13. In regulation 18 of the said regulations, in sub-regulation (2), the *Explanation* shall be renumbered as *Explanation 1* thereof, and after *Explanation 1* as so renumbered, the following *Explanations* shall be inserted, namely :-

“Explanation 2.- For the purposes of this regulation, on and from the 1st February, 2004,-

- (a) ‘family’ of an officer for this purpose of Leave Travel Concession means the spouse of the officer, children, parents, unmarried brothers and unmarried sisters residing with and wholly dependent on the officer;
- (b) “family members” of an officer for the purpose of medical aid means the spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only;
- (c) an officer and his family shall be eligible for Leave Travel Concession.

Explanation 3.- For the purposes of this regulation, on and from the 1st May, 2010,-

- (a) ‘family’ of an officer means the spouse, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with 40 per cent. or more disability, as also parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer;
- (b) the term wholly dependent child or parent, wholly dependent physically challenged brother or sister means such member of the family having a monthly income not exceeding Rs. 3,500 per month and if the income of one of the parents exceeds Rs. 3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.

Explanation 4.- For the purposes of this regulation, on and from the 1st June, 2015,-

- (a) ‘family’ of an officer means spouse, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with 40 per cent. or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sister including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters as also parents wholly dependent on the officers;
- (b) the term wholly dependent family member means such member of the family having a monthly income not exceeding Rs. 10,000 per month and if the income of one of the parents exceeds Rs. 10,000 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 10,000 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer;
- (c) A married female employee may include her natural parents or parents-in-law under the definition of family, but not both:

Provided that the parents or parents-in-law are wholly dependent on her.

Note: For the purpose of medical expenses reimbursement scheme, for all employees any two of the dependent parents or parents-in-law shall be covered.

Explanation 5.- For the purposes of this regulation, on and from the 1st November, 2020,-

- (a) ‘family’ of an officer shall mean the spouse, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with 40 per cent. or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sister including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters as also parents wholly dependent on the officer. Physically challenged children of employees to be defined as dependents irrespective of age or marital status, subject to income criteria;
- (b) the term wholly dependent family member means such member of the family having a monthly income not exceeding Rs. 12,000 per month and if the income of one of the parents exceeds Rs. 12,000 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 12,000 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer. A married female employee may include her natural parents or parents-in-law under the definition of family, but not both:

Provided that the parents or parents-in-law are wholly dependent on the officer.

Note: For the purpose of medical expenses reimbursement scheme, for all employees i.e. male or female any two of the dependent parents or parents-in-law shall be covered. The officer employee shall have the choice to substitute either of the dependents or both.

Explanation 6.- For the purposes of this regulation on and from the 1st April, 2024, it is clarified that-

(a) An officer and his family shall be eligible for Leave Travel Concession and Medical Aid as under:

- (i) the employee's spouse;
- (ii) wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children);
- (iii) wholly dependent physically and mentally challenged brothers or sisters with 40 per cent. or more disability;
- (iv) widowed daughters and dependent divorced or separated daughters;
- (v) sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters;
- (vi) parents wholly dependent on the employee:

Provided that in the case of physically and mentally challenged children irrespective of age, they shall be construed as dependents even after their marriage, subject to fulfilling the income criteria for dependent.

(b) On and from the 1st October, 2024, the term wholly dependent family means such member of the family having a monthly income not exceeding Rs. 18,000 per month and if the monthly income of one of the parents exceeds Rs. 18,000 or the aggregate of monthly income of both the parents exceeds Rs. 18,000 or both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.

Note: For the purposes of medical expenses reimbursement scheme and Leave Travel Concession, for all employees, any two of the dependent father, mother, father-in-law, mother-in-law shall be covered. The employee shall have the choice to substitute either of the dependents or both once in a calendar year.”

14. In regulation 22 of the said regulations, after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(9) On and from the 1st April, 2024, the leave sanctioning authority shall record the reason for refusal or postponement of leave .”.

15. In regulation 23 of the said regulations,-

(i) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(1A) On and from 1st April, 2024, a total of two days of Casual Leave may be availed for half a day on four occasions in a year out of which two occasions would be in the morning and two occasions in the afternoon.

Note 1: Casual Leave under this category may be availed after applying twenty-four hour in advance.

Note 2: At the time of carrying over the balance in Casual Leave to Unavailed Casual Leave account, the fraction in the balance, if any, shall be ignored.”;

(ii) after sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) On and from from the 1st November, 2020, unavailed Casual Leave not availed of in the year 2017 or in any subsequent years shall lapse in the following five years and the availment of unavailed Casual Leave by the officers in the following years shall continue to be permitted only on medical grounds, production of medical certificate need not, henceforth, be insisted upon in case the period of such unavailed Casual Leave at a stretch not exceeding four days .

(6) On and from the 1st November, 2020, special Casual Leave may be granted to an employee on occasions when the branch, where the employee is working or the place where the employee is residing is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, and the like, and four days Special Casual Leave shall be granted to all physically or orthopedically handicapped employees each year.”.

16. In regulation 24 of the said regulations, for sub-regulations (2), (3), (4), (5) and (6), the following sub-regulations shall be substituted, namely :-

“(2) Privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred seventy days, except where leave has been applied for and it has been refused in writing:

Provided that encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred forty days, from the 1st June, 2015.

(3) Privilege leave accruing to an employee shall be allowed to be accumulated beyond two hundred forty days up to a maximum of two hundred seventy days:

Provided that encashment of privilege leave shall be restricted up to a maximum of two hundred forty days, from the 11th November, 2020.

(4) An officer desiring to avail of privilege leave shall normally submit at the commencement of the year of his leave programme for the year and privilege leave other than for the purpose of availing the Leave Fare Concession shall be applied not less than ten days before the proposed date of commencement of such leave.

(5) An officer on privilege leave shall be entitled to full emoluments for the period of leave. For calculating privilege leave, the number of days an officer was on service on duty since the date of his last return from leave shall be divided by eleven which shall give the number of days privilege leave earned by him and fractions of a day of earned leave shall be taken as a full day, if amounting to half a day or more and shall be ignored, if amounting to less than half a day.

(6) Privilege leave taken on sick grounds when there is no credit in the Sick Leave account of the employee shall not be counted as an occasion of availing privilege leave.

(7) Once in every four years when an officer avails Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his privilege leave not exceeding one month at a time, alternatively, he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of privilege leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the availing of the Leave Travel Concession commences shall be admissible:

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund, subject to giving a letter to the Bank to that effect and authorising the Bank to remit the amount to the Fund:

Provided further that privilege leave encashment shall be permitted at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of the employee's choice:

Provided also that employees who have completed fifty five years of age and above shall be entitled to encash at the rate seven days for each calendar year, till retirement as a one-time measure.

(8) Privilege leave accruing to an employee shall be allowed to be accumulated beyond two hundred forty days up to a maximum of two hundred seventy days:

Provided that encashment of privilege leave shall be restricted up to a maximum of two hundred forty days and upto two hundred fifty five days at the time of retirement or upon death of an employee while in service.

(9) Privilege leave encashed, if any, shall not be deducted from the period of service on duty for the purpose of calculation of privilege leave and for calculating privilege leave, all types of leave availed, except Casual Leave and mandatory leave shall be excluded.''

17. In regulation 25 of the said regulations, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(5) On and from the 1st June, 2015, an officer may be granted thirty days of Special Sick Leave once during his entire period of service for donation of kidney or organ.”.

18. In regulation 26 of the said regulations,-

(i) for sub-regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely :-

“(1) On and from the 1st May, 2010, Maternity Leave, shall be on substantive pay and granted to a female officer for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service.

(2) Maternity Leave shall be available for pre-natal and post-natal period or within the overall period of twelve months and leave may also be granted in case of miscarriage or abortion or medical termination of pregnancy or in case of hysterectomy upto a maximum of forty five days on production of medical certificate.

(2A) On and from the 25th May 2015, within the overall period of twelve months, Maternity Leave may also be granted in case of miscarriage or abortion or medical termination of pregnancy in the following conditions, namely:-

- (a) within the overall period of twelve months, maternity leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of sixty days;
- (b) leave may be granted once during service to a childless female officer for legally adopting a child who is below one year of age for a maximum period of six months, subject to the following terms and conditions, namely:-
 - (i) leave shall be granted for adoption of only one child;
 - (ii) the adoption of a child shall be through a legal process and the employee shall produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;
- (c) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;
- (d) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.

(2B) (a) On and from the 11th November, 2020, Maternity Leave which shall be on substantive pay shall be granted to a female employee generally for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service.

Note 1: In case of delivery of twins, the period of Maternity Leave shall be eight months.

Note 2: Maternity Leave may be availed combining with any other kind of leaves except Casual Leave.

(b) In case of miscarriage or medical termination of pregnancy or abortion, Maternity Leave shall be granted upto six weeks on the basis of medical certificate or advice of a competent medical practitioner and in special or exceptional cases involving medical complications, associated with miscarriage or medical termination of pregnancy or abortion, Maternity Leave may be granted beyond six weeks, if advised by a competent medical practitioner but upto six months only on any one occasion, within the overall limit of twelve months during the entire period of service.

(c) Within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of sixty days.

Note: In the case of employees who have availed and exhausted Maternity Leave of twelve months, leave of fifteen days shall be sanctioned over and above the same, subject to production of medical certificate.

(d) Leave may also be granted once during service to a childless female employee for legally adopting a child, who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely:-

- (i) leave shall be granted for adoption of only one child;
- (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee shall produce the adoption-deed to the bank for sanctioning such leave;
- (iii) the permanent part-time employees are also eligible for grant of leave for adoption of a child;
- (iv) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;
- (v) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.

(e) Within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of hospitalisation on account of the following gynecological ailments or treatments upto a maximum of thirty days, namely:-

- (i) Abnormal uterine bleeding;
- (ii) Ovarian Tumor;
- (iii) Uterectomy or Tubectomy reversal;
- (iv) Post-Partum Depression;
- (v) Post-Partum Hemorrhage;
- (vi) Acute Pelvic inflammatory Disease;
- (vii) Dysfunction Uterine Bleeding.

(2C) (a) On and from the 1st April, 2024, leave may also be granted once during service to a childless female employee for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely:-

- (i) leave shall be granted for adoption of only one child;
- (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the

adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;

- (iii) the permanent part-time employees are also eligible for grant of leave for adoption of a child;
- (iv) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;
- (v) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service;
- (vi) Maternity Leave shall be granted once to a female employee for a maximum period of nine months, for legally adopting a child who is below one year of age.

(b) Maternity Leave may be granted for In Vitro Fertility (IVF) treatment, subject to production of medical certificate, within the overall limit of twelve months.

(c) Special Maternity Leave upto sixty days shall be granted in case of still born or death of the infant within twenty eight days of birth.

Note: In case of delivery of more than two children in one single delivery, Maternity Leave shall be granted upto twelve months.”;

(ii) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely :-

“(6) On and from the 1st June, 2015, male officers with less than two surviving children shall be eligible for fifteen days of paternity leave during his wife’s confinement and this leave may be combined with any other kind of leave except Casual Leave. The leave shall be applied upto fifteen days before or upto six months from the date of delivery of the child.

(7) On and after the 1st November, 2020, male officer with upto two surviving children shall be eligible for fifteen days of paternity leave during his wife’s confinement and this leave may be combined with any other kind of leave except Casual Leave. The leave may be availed upto fifteen days before or after six months from the date of delivery of the child.

Note: Paternity Leave shall be allowed to the officer with upto two surviving children or legally adopting a child, who is below one year of age.”.

19. In regulation 27 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(2A) Extraordinary Leave shall not be granted for more than seven hundred and twenty days during the entire period of service, but in the exceptional circumstances the Chairman and Managing Director or the Authority designated by him, may, in individual cases, relax the aforesaid limit.

(2B) On and from the 1st November, 2020, in the exceptional circumstances, extraordinary leave may be sanctioned (without wages) not exceeding three months on any one occasion (up to four months in extreme medical circumstances) and upto a maximum of twenty four months during the entire period of service.

Note: The officer shall not be losing any seniority on account of availing extraordinary leave on medical grounds.”.

20. Regulation 28 of the said regulations shall be renumbered as 28(1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulation shall be inserted , namely:-

“(2) On and from the 1st April, 2024, Officers shall be granted seven days of breavement leave on the demise of the family members (spouse, children, parents and parent-in-law). The intervening holidays shall form part of the leave and bereavement leave shall be availed within a maximum period of fifteen days of the demise. The leave shall not be considered as ‘Active Service’ for the purpose of Privilege Leave calculation.”.

21. In regulation 33 of the said regulation,-

(i) after sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(1A) (i) On and from the 1st June, 2015 , an officer in Junior Management I Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train and the officer, may, travel by Air (economy class), if so permitted by the competent authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) An officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train and the officer, may, travel by Air (economy class), if the distance to be travelled is more than one thousand kilometre:

Provided that the officer may, travel by Air (economy class) even for a shorter distance, if, permitted by the competent authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) An officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by Air (economy class).

(iv) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may, travel by car between places not connected by Air or Rail:

Provided that the distance does not exceed five hundred kilometer:

Provided further that when a major part of the distance between the two places can be covered by Air or Rail only the rest of the distance shall normally be covered by car.

(v) Any other officer may be authorised by the competent authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.

Note: Entitlement by Steamer – Delux Cabin.

(1B)(i) On and from the 1st April, 2024, an officer in Junior Management I Grade shall be entitled to travel by AC 1st Class by any train including Rajdhani or Shatabdi or Tejas or Vande Bharat or Amrit Bharat, and the officer may travel by Air (economy class), permitted by the competent authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) An officer in Middle Management Grade is entitled to travel by AC 1st Class by any Train including the Rajdhani or Shatabdi or Vande Bharat or Amrit Bharat and the officer may travel by Air (economy class), if the distance to be travelled is more than five hundred kilometers. The officer may, travel by Air (economy class) even for a shorter distance, if permitted by the competent authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) An officer in Senior Management is entitled to travel by AC 1st Class by any Train including the Rajdhani or Shatabdi or Vande Bharat or Amrit Bharat or by Air (Economy Class).

(iv) An officer in Top Executive Grade (upto TE VII) is entitled to travel by AC 1st Class by any train including Rajdhani or Shatabdi or Vande Bharat or Amrit Bharat or by Air (Economy Class).

Note: Entitlement by Steamer – Delux Cabin.

(vii) Reimbursement of fare by Rajdhani or Shatabdi or Vande Bharat or Amrit Bharat (except luxury trains) shall be allowed to all officers.

(viii) Where an officer has applied for Leave Travel Concession or leave in advance and has also booked the tickets and the Leave Fair Concession is declined or deferred by the management, the cancellation charges shall be reimbursed by the Bank.

(ix) Where an officer has applied for Leave Travel Concession or leave as per stipulated time and the same is sanctioned and when advance booking of train tickets is not possible, tickets purchased under Tatkal or Premium tatkal shall be reimbursed.

Note: Goods and Services Tax charges levied on Train fare shall be over and above the entitlement and the cost of train tickets charged on the date of booking shall be reimbursed in the case of dynamic fare system.”;

(ii) after sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) On and after the 1st June, 2005, an officer in the grades or scales specified in column (2) of the Table below, shall be entitled for Halting Allowance at the corresponding rates specified in column (3) thereof:

Table

Serial number	Grade or scales of officers	Major 'A' class cities (rupees)	Area I (rupees)	Other Places (rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Officers in Scale IV and above	600	550	500
2.	Officers in Scale I or II or III	550	500	400

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, that are Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs. 700.

(6) On and from the 1st May, 2010, an officer in the grades or scales specified in column 2 of the Table below, shall be entitled for Halting Allowance at the corresponding rates specified in column (3) thereof:

Table

Serial number	Grade or scales of officers	Major 'A' class cities (rupees)	Area I (rupees)	Other places (rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Officers in Scale IV and above	1000	800	700
2.	Officers in Scale I or II or III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, that are Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs. 1200 and for the officers in Scale I or II or III Rs. 1000.

(7) On and from the 1st June, 2015, an officer in the grades or scales specified in column (2) of the Table below, shall be entitled for Halting Allowance at the corresponding rates specified in column (3) thereof:

Table

Serial number	Grade or scales of officers	Metro (rupees)	Major 'A' class cities (Rupees)	Area I (rupees)	Other places (rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Officers in Scale VI and above	1800	1300	1100	950
2.	Officers in Scale IV and V above	1500	1300	1100	950
3.	Officers in Scale I or II or III	1300	1100	950	800

(8) On and from the 1st November, 2020, an officer in the grades or scales specified in column (2) of the Table below, shall be entitled for Halting Allowance at the corresponding rates specified in column (3) thereof:

Table

Serial number	Grade or scales of officers	Metro (rupees)	Major 'A' class cities (rupees)	Area I (rupees)	Other places (rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Officers in Scale VI and above	2700	1950	1650	1425
2.	Officers in Scale IV and V above	2250	1950	1650	1425
3.	Officers in Scale I or II or III	1950	1650	1425	1200

(9) On and from the 1st April, 2024, an officer in the grades or scales specified in column (2) of the Table below, shall be entitled for Halting Allowance at the corresponding rates specified in column (3) thereof:

Table

Serial number	Grade or scales of officers	Metro (rupees)	Major 'A' class cities (rupees)	Area I (rupees)	Other places (rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Officers in Scale VI and above	4050	2925	2475	2150
2.	Officers in Scale IV and V above	3375	2925	2475	2150
3.	Officers in Scale I or II or III	2925	2475	2150	1800.”

22. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulations shall be inserted, namely :-

“(3A) On and from the 1st May, 2005, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount, for expenses connected with packaging, local transportation, insuring the baggage, and the like, as specified in the Table below, namely:-

Table

Serial number	Grade or scales of officers	Rupees
(1)	(2)	(3)
1.	Officers in Scale IV and above	8,750
2.	Officers in Scale I, II and III	7,000

(3B) On and from the 1st May, 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount, for expenses connected with packaging, local transportation, insuring the baggage, and the like, as specified in the Table below, namely:-

Table

Serial number	Grade or scales of officers	Rupees
(1)	(2)	(3)
1.	Officers in Scale IV and above	12,000
2.	Officers in Scale I, II and III	9,000

(3C) On and from the 1st June, 2015, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packaging, local transportation, insuring the baggage, and the like, as specified in the Table below, namely:-

Table

Serial number	Grade or scales of officers	Rupees
(1)	(2)	(3)
1.	Officers in Scale IV and above	20,000
2.	Officers in Scale I, II and III	15,000

(3D) On and from the 1st November, 2020, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packaging, local transportation, insuring the baggage, and the like, as specified in the Table below, namely:-

Table

Serial number	Grade or scales of officers	Rupees
(1)	(2)	(3)
1.	Officers in Scale IV and above	30,000
2.	Officers in Scale I, II and III	25,000

(3E) On and from the 1st April, 2024, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount, for expenses connected with packaging, local transportation, insuring the baggage, and the like as specified in the Table below, , namely:-

Table

Serial number	Grade or scales of officers	Rupees
(1)	(2)	(3)
1.	Officers in Scale IV and above	50,000
2.	Officers in Scale I, II and III	40,000

Note: Apart from the above, either fifteen days lodging and boarding charges or fifteen days Halting Allowance shall be paid from the date of joining at new place.”.

23. In regulations 37 of the said regulations, after sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be inserted, namely :-

“(1A) (i) On and after the 1st March, 2002, an officer shall be eligible for Leave Travel Concession for travel to his place of domicile once in each block of four years or two years or the officer may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route, or;

(ii) an officer, by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession other than travel to place of domicile upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of four thousand five hundred kilometers (one way) for officer in grade or scale Junior Management I to grade or scale MM III and five thousand five hundred kilometers (one way) for officer in grade or scale Senior Management IV and above:

Provided that an officer in Junior Management I grade or scale Junior Management I, while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by Air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement shall be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by Train for the distance travelled, whichever is less and the same rules shall apply when an officer in grade or scale MM II, while availing Leave Travel Concession, where the distance is less than one thousand kilometers.

(iii) An officer opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for self and his family members only once during the block or term in which such encashment is availed of the facility of encashment of Privilege Leaves, while availing of Leave Fare Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(1B)(i) An officer, by exercising an option anytime during a four-year block or two-year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession other than travel to place of domicile upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of five thousand five hundred kilometers (one way) for officers in JMG-Scale-I, MMG - Scale II and III and for scale IV and above the same shall be for six thousand five hundred kilometers (one way).

(ii) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions, subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer:

Provided that an officer in Junior Management I Grade Scale I, while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by Air in the lowest fare economy class and in such case the reimbursement shall be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by Train for the distance travelled, whichever is less, and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III, while availing Leave Travel Concession, where the distance is less than five hundred kilometers.

(iii) Leave Travel Concession or Hometown Travel Concession may be availed independently, where both husband and wife are working in the same Bank.

(iv) For the officer working in North-East States, Leave Fare Concession shall begin from Guwahati and the eligible Train fare from their place of work to Guwahati shall be additionally paid and similarly, eligible fare for Andaman and Nicobar Islands to Chennai or Kolkata, Lakshadweep to Kochi, far-flung area branches in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir or any other areas which are not directly connected by Train shall be additionally reimbursed under Leave Fare Concession in addition to normal entitlement for the employees working in these areas to the nearest major Railway Station.

(v) Leave Travel Concession facility shall be allowed for an escort, who accompanies an officer with benchmark disabilities on the journey, subject to the following conditions, namely:-

- (a) prior approval of the competent authority is obtained on each occasion;
- (b) the nature of Physical disability of the officer is such as to necessitate an escort for the journey and in case of doubt, the decision of the head of the Department or Controller shall be final;
- (c) the officer with such benchmark disabilities does not have an adult family member as dependent to accompany him or her;
- (d) the officer with such benchmark disabilities and the escort shall avail of the concession, if any, in the Rail or Bus fare as may be extended by Railways or State Roadways authorities in such cases;
- (e) any other person who is entitled to Leave Travel Concession as dependent does not accompany the officer with such benchmark disabilities on the journey.”.

[ADVT.-III/4/Exty./756/2025-26]

SHRI UDAY SHINDE, General Manager

Foot Note: The Export-Import Bank Officers' Service Regulations, 1982 were subsequently amended *vide* the following notifications published in the Gazette of India, Part III, Section 4:-

Serial number	Gazette notification number	Date of publication
1.	No. PF/LEG-26/92	20-3-1993
2.	No. PF/LEG-26/92	20-3-1993
3.	No. PF/LEG-26/93	22-1-1994
4.	No. EXIM/Service/2004	29-3-2004
5.	No. EXIM/Service/2004	17-7-2004
6.	No. EXIM/Service/2004	2-6-2006
7.	No. EXIM/Service/2004	2-6-2006

EXPLANATORY MEMORANDUM

These regulations which have been given retrospective effect as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes of Indian Banks' Association and adopted by the Bank upon approval by the Central Government. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.